न्यायालयः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

उपस्थित– पवन कुमार शर्मा –II (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J. O. ID No. UP 2735

UPBH010001602010

सत्र परीक्षण संख्या 113/2010

उत्तर प्रदेश सरकार ----------**अभियोगी**

बनाम

1–कृष्ण गोपाल बाजपेयी पुत्र मंशाराम बाजपेयी

2–सुन्दरलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद

3–बाबूलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद

4–दिवाकर पुत्र कृष्ण गोपाल

5–सुधाकर पुत्र कृष्ण गोपाल

6–राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंशाराम बाजपेयी, निवासीगण– ग्राम गंगापुरवा, थाना हरदी–जनपद बहराइच।

----------**अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–65/2010
धारा–147, 148, 149, 307,
504, 506 भा०दं०सं० व
धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट
थाना–हरदी, जनपद– बहराइच।

एवं

UPBH010001612010

सत्र परीक्षण संख्या –114/2010

उत्तर प्रदेश सरकार ----------**अभियोगी**

बनाम

सुन्दरलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, निवासी– ग्राम गंगापुरवा, थाना हरदी–जनपद बहराइच।

----------**अभियुक्त**

मु०अ०सं०–66/2010
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–हरदी, जनपद– बहराइच।

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.04.06 17:12:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPBH010001622010

सत्र परीक्षण संख्या –115/2010

उत्तर प्रदेश सरकार ----------**अभियोगी**

बनाम

बाबूलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, निवासी– ग्राम गंगापुरवा, थाना हरदी–जनपद बहराइच।

----------**अभियुक्त**

मु०अ०सं०–67/2010
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–हरदी, जनपद– बहराइच।

अपराध घटित होने की तिथि–	09–02–2010
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि–	09–02–2010
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि–	03–03–2010
आरोप विरचित किये जाने की तिथि–	02–01–2014
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि–	18–06–2015
साक्ष्य पूर्ण होने की तिथि–	15–11–2022
बयान धारा 351 बी०एन०एस०एस० अंकित होने की तिथि	05–05–2023
अतिरिक्त बयान धारा 351 बी०एन०एस०एस० अंकित होने की तिथि	26–02–2026
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि–	24–03–2026
निर्णय पारित किये जाने की तिथि –	06–04–2026

<u>निर्णय</u>

1– उपरोक्त तीनो सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण उनका विचारण आदेश दिनांकित–01–08–2025 के द्वारा एक साथ किया गया तथा उनका निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

2– थाना–हरदी, जिला–बहराइच की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल बाजपेयी, सुन्दरलाल, बाबूलाल, दिवाकर, सुधाकर व राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध मु०अ०स०–65/2010, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट में, अभियुक्त सुन्दरलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध मु०अ०स०–66/2010, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में तथा अभियुक्त बाबूलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध मु०अ०स०–67/2010, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु दाखिल किया गया है तथा अभियुक्तगण को साक्ष्योपरांत दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

3– विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्रों पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–65/2010 में दिनांक–19–03–2010 को, मु०अ०सं०–66/2010 व मु०अ०सं०–67/2010 में दिनांक–07–04–2010 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल बाजपेयी, सुन्दरलाल, बाबूलाल, दिवाकर, सुधाकर व राजेन्द्र प्रसाद का उपार्पित आदेश दिनाँक–30–04–2010 से यह प्रकरण विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय, बहराइच को सुपुर्द किया गया।

4– माननीय सत्र न्यायाधीश, बहराइच के न्यायालय में अभियुक्तगण का मामला मु०अ०सं०–65/2010 को सत्र परीक्षण सं० 113/2010 के रूप में, मु०अ०सं०–66/2010 को सत्र परीक्षण सं० 114/2010 के रूप में तथा मु०अ०सं०–67/2010 को सत्र परीक्षण सं० 115/2010 के रूप में पंजिकृत हुए।

5– माननीय तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिनांक–02–01–2014 को अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल बाजपेयी, सुन्दरलाल, बाबूलाल, दिवाकर, सुधाकर व राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत तथा मु०अ०सं०–66/2010, सत्र परीक्षण सं० 114/2010 के अभियुक्त सुन्दरलाल के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत तथा मु०अ०सं०–67/2010, सत्र परीक्षण सं० 115/2010 के अभियुक्त बाबूलाल के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6– माननीय सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांकित–13–10–2011 के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–113/2010 व आदेश दिनांकित–08–03–2025 के अनुपालन में सत्र परीक्षण संख्या–114/2010 व आदेश दिनांकित–06–05–2025 के अनुपालन में सत्र परीक्षण संख्या–115/2010 की पत्रावलियां इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई।

7– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, मैं प्रार्थी अमृतलाल पुत्र राम खेलावन ग्राम भगवानपुर थाना हरदी जनपद बहराइच का निवासी हूँ, कृष्णगोपाल पुत्र मंशाराम वाजपेई निवासी गंगापुरवा के बगल मेरी जमीन गाटा सं०–490/2 रकबा 0.156 हे० है। जिसमें कृष्णगोपाल मुझसे कहकर लकड़ी रखे थे। आज दिनांक–09.02.2010 को मैंने कहा कि अपनी लकड़ी हमारी जमीन से हटा लें, मैं अपनी जमीन में मकान बनाऊँगा और अपनी जमीन में नींव खुदवाने लगा कि समय करीब 12:00 बजे दिन

कृष्णगोपाल पुत्र मंशाराम, सुधाकर व दिवाकर पुत्र कृष्णगोपाल सभी निवासी गंगापुरवा हाल भगवानपुर चौराहा थाना हरदी जनपद बहराइच नजायज कट्टा, बंदूक से लैस होकर आए और कहने लगे कि नींव खोदना बंद कर दो इसमें से रास्ता लेंगे तब नींव खोदना तब तक मेरे परिवार के लोग आ गए, तब कृष्णगोपाल वगैरह सभी छः लोग जान से मारने कि नियत से नाजायज असलहों से फायर करने लगे जिससे लल्लू पुत्र जगतनरायण चेतराम पुत्र रामसिहारे, कु० रेखा पुत्री कृष्णगोपाल व फूलप्रकाश के नौकर जोगेन्द्र निवासी सिपाहिया प्यूली को फायर की चोटें आई हैं। घटना को गवाहान बसावन लाल पुत्र लल्लन अवस्थी, बद्री विशाल पुत्र रामनरेश, रामकोमल पुत्र रामसमुझ, नागेन्द्र नाथ पुत्र राय पदारथ निवासीगण भगवानपुर लोगों ने देखा है सभी के ललकारने पर कृष्णगोपाल वगैरह छः लोग नजायज असलहा लहराते हुए घरों में घुस गए, फायर की आवाज सुनकर चौराहे पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी–अपनी दुकानों की सटर बंद करके छतों पर चढ़ गए, आवागमन ठप हो गया। भगवानपुर चौराहे की तरफ आने वाले सभी वाहन चालक अपने–अपने वाहन खड़े करके भाग गए। इस घटना से पूरी तरह लोक व्यवस्था भंग हो गई, दहशत का माहौल पैदा हो गया। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–हरदी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

8– वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर, थाना– हरदी, जनपद बहराइच पर चिक एफ.आई.आर. **प्रदर्श क–12** किता की जाकर मु०अ०सं० 65/2010 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307 भा०द०सं० व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–09–02–2010 को पंजीकृत किया गया, जिसका **रोजनामचा आम संख्या–07 प्रदर्श क–13,** में खुलासा तत्काल किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

9– उपनिरीक्षक थाना हरदी, **बेचू प्रसाद यादव** द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ करते हुए घटना स्थल/मौके पर पहुँचकर नक्शा–नजरी घटना स्थल **प्रदर्श क–10,** तैयार किया गया, चोटहिलों की इन्जरी रिपोर्ट **प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–8** तथा चोटहिलो को व रेडियोलॉजिस्ट विभाग की (एक्स–रे) रिपोर्ट **प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–9** का अवलोकन किया। गवाहान व मजरूबो के बयानात अंकित किये।

10– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना रोजनामचा संख्या–29 के द्वारा मुकदमा में धारा–504, 506 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल बाजपेयी, सुन्दरलाल, बाबूलाल, दिवाकर, सुधाकर व राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–11** विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया।

11– संक्षेप में मु०अ०सं०–66/2010 व मु०अ०सं०–67/2010 का अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, आज दिनांक–09.02.2010 को मैं एस०ओ० बृजकिशोर यादव मय हमराही वी०पी यादव, हमराह कॉ० जनार्दन सिंह, कॉ० विनोद कुमार कनौजिया कॉ० अरविन्द कुमार कनौजिया के साथ शांति व्यवस्था भगवानपुर चौराहा घटनास्थल मु०अ०सं०–65/2010 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं० व धारा– 7 Cr. Law A Act पर मौजूद था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा

उपर्युक्त से संबंधित अभियुक्तगण अपने घर के अंदर छिपे हैं और मौका पाकर भाग सकते हैं। उस सूचना पर विश्वास करके हम सभी पुलिस वाले मुकदमा उपर्युक्त में नामजद अभियुक्त सुन्दर लाल वाजपेई के घर के मुख्य गेट को खट–खटाया गया कि तभी दरवाजा खोलकर अंदर से दो व्यक्ति तेजी से बाहर निकलकर भागे कि घर के बाहर गेट के पास ही दोनों को समय 15:00 बजे बा जाब्ता पकड़ लिया गया। नामपता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम सुन्दर लाल वाजपेई पुत्र राजेन्द्र प्रसाद वाजपेई व दूसरे ने अपना नाम बाबूलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद वाजपेई निवासीगण भगवानपुर थाना हरदी जनपद बहराइच बताया। सुन्दर लाल की जामा तलासी से उसके पैन्ट के दाहिने फेंट में खुशा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर बंरग काला जिसकी नाल लोहे की एक बालिस्त लंबी, बाडी लोहे की एवं वट लोहे का कुल लंबाई 8 अंगुल जिसमें नीचे ट्रेगर, हैमर वाला चालू हालत में व बैरल को रोकने के लिए लोहे की एक पत्ती लगी है। नाल को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर से एक अदद कारतूस 12 बोर डबल बी०बी० शक्तिमान एक्सप्रेस लिखा हुआ, बरंग लाल बरामद हुआ। जिसे नाल से बाहर निकाला गया। नाल को सूंघने पर ताजा बारूद की गंध आ रही है। बाबूलाल की जामा तलाशी से उसके दाहिने पैण्ट की जेब से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल लोहे 8 अंगुल लंबी बाडी पीतल की 5 अंगुल लंबी जिसमें ट्रेगर, हैमर, ट्रेगर आदि व नाल को खोलने के लिए दोनों तरफ पीतल की पत्ती लगी हुई वट पीतल का 3 अंगुल लंबा वट के दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगे हुए वट में नीचे कड़ी लगी हुई चालू हालत में बरामद हुआ। नाल को खोलकर देखा गया तो एक खोखा कारतूस फंसा हुआ व पैण्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस 315 बोर जिंदा K.F. बरामद हुआ। जिसकी नाल से ताजे बारूद की गंध आ रही है, दोनों से तमंचा रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो नहीं दिखा सके। वहाँ पर मौजूद जनता के लोगों से गवाही हेतु कहा गया तो भी इनके डर की वजह से कोई गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। अभियुक्तगण का यह जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध है। अतः दोनों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद तमंचा व कारतूस को कब्जे में लेकर अलग 2 सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द को बोलकर एस०आई० वी०पी० यादव से लिखवा कर यह फर्द सुनाकर अलामात हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त बनवाए जा रहे हैं।

12– वादी मुकदमा उपनिरीक्षक थाना हरदी, बृज किशोर यादव की उपरोक्त लिखित तहरीर/फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण व बरामदगी असलहा **प्रदर्श क–14** के आधार पर, थाना– हरदी, जनपद बहराइच पर चिक एफ.आई.आर. **प्रदर्श क–15** किता की जाकर मु०अ०सं० 66/2010, मु०अ०सं० 67/2010 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबूलाल के विरूद्ध दिनांक–09–02–2010 को पंजीकृत किया गया, जिसका रोजनामचा आम **प्रदर्श क–16**, में खुलासा तत्काल किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

13– उपनिरीक्षक थाना हरदी, **बृज किशोर यादव** द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ करते हुए घटना स्थल/मौके पर पहुँचकर नक्शा–नजरी घटना स्थल **प्रदर्श क–18, व प्रदर्श क–16A** तैयार किया गया, गवाहान व मजरूबो के बयानात अंकित किये।

14– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से अभियुक्त सुन्दरलाल

के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–17 व अभियुक्त** बाबूलाल के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–15A** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

15– अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में कुल 08 गवाहों को परीक्षित कराया गया जो निम्न प्रकार है–

अभियोजन साक्षी	**साक्षी का नाम**	**विश्लेषण**
पी०डब्लू०–1	वादी मुकदमा अमृतलाल	साक्षी
पी०डब्लू०–2	कु० रेखा,	चोटहिल साक्षी
पी०डब्लू०–3	डॉ० हीरालाल वशिष्ठ	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–4	डॉ० आर०एन० त्रिपाठी	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–5	एस०आई० बेचू प्रसाद यादव	विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०–6	एस०आई० बेचू प्रसाद यादव	द्वितीयक साक्षी मु०अ०सं०–67/10
पी०डब्लू०–7	निरीक्षक संजय वर्मा	द्वितीयक साक्षी मु०अ०सं०–66/10
पी०डब्लू०–8	एस०आई० रघुराम मिश्र	द्वितीयक साक्षी मु०अ०सं०–67/10

16– अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है किः–

(i) अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य का प्रथम साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 अमृतलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, "मुल्जिमान कृष्णगोपाल, बाबूलाल, सुन्दरलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर व दिवाकर को वह जानता–पहचानता है। मुल्जिम कृष्णगोपाल व राजेन्द्र प्रसाद आपस में सगे भाई हैं तथा मुल्जिम बाबूलाल, सुन्दरलाल मुल्जिम राजेन्द्र प्रसाद के बेटे हैं तथा सुधाकर व दिवाकर मुल्जिम कृष्णगोपाल के बेटे हैं। घटना दिनांक 09–02–2010 को समय करीब 12 बजे दिन की है। उसकी जमीन भगवानपुर चौराहा पर है जिसका गाटा संख्या 490/02 रकबा 0.156 हे० है। इस जमीन के बगल में सटी हुई पश्चिम की तरफ कृष्णगोपाल अपनी लकड़ी रखे हुए थे। उसने कृष्णगोपाल से कहा कि लकड़ी हटा लीजिए। वह अपनी जमीन पर मकान बनायेगा। घटना वाले दिन समय करीब 12 बजे वह अपनी जमीन पर नींव खुदाने के लिए गया और जब नींव खुदाने लगा तो समय करीब 12 बजे मुल्जिमान कृष्णगोपाल, बाबूलाल, सुन्दरलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर व दिवाकर यह सभी लोग एकराय होकर उसकी जमीन पर अपने हाथों में कट्टा देशी बन्दूक लेकर आ गये। सुन्दरलाल व बाबूलाल के हाथ में कट्टा था। अन्य लोगों के हाथ में देशी बन्दूक थी। सभी मुल्जिमान हथियारों से लैस होकर उन लोगों को गाली गुप्ता देने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि नींव खोदना बन्दकर दो। वे इसमें से रास्ता लेंगे और उसके मना करने पर जान से मारने की नियत से मुल्जिमान ने उन सभी लोगों को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। असलहों के फायर करने से लालू, चेतराम, कुमारी रेखा, जोगेन्दर को असलहों के फायर की चोटें आयी थीं। मुल्जिमान के फायर करने से दहशत हो गयी थी। <u>मौके पर भसावनलाल, बद्री विशाल, राम, कोमल, नागेन्द्रनाथ आदि लोग आ गये थे जिन्होंने घटना को देखा था</u>

तथा और बहुत से लोग चौराहे व मौके पर आ गये थे। तब मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते भाग गये। उसने घटना के बारे में एक तहरीर भगवानपुर चौराहे के ही नन्द कुमार अवस्थी से घटना के बारे में बताकर लिखवायी थी। लिखने वाले ने लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनकर उस पर उसका हस्ताक्षर बनवाया था। संलग्न पत्रावली असल तहरीर गलत को पढ़कर सुनायी व दिखायी गयी। उसने उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस प्रदर्श क–1 को ले जाकर उसने थाने पर दिया था। जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

(ii) अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य का द्वितीय साक्षी **पी०डब्ल्यू०–2 कु० रेखा जो की मामले की चोटहिल साक्षी है,** वादी मुकदमा अमृतलाल को वह जानती है। यह उसके गांव के हैं। घटना को लगभग साढ़े पाच वर्ष हो रहे हैं। घटना दिन के लगभग 12 बजे की है। घटना के समय वह जोगेन्द्र के साथ चौराहे पर घटना स्थल पर आयी थी। वह जोगेन्द्र के साथ वह सामान खरीदने आयी थी जब वह जोगेन्द्र के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो मौके पर अमृतलाल व उनके बेटे दिनेश, उमेश नींव खोद रहे थे तो उस समय छः लोग आ गये जिनमें सुधाकर, दिवाकर, कृष्णगोपाल, सुन्दरलाल, बाबूलाल, राजेन्द्र थे। यह सभी मुल्जिमान अपने हाथों में कट्टा लिये थे। इन सभी मुल्जिमान को वह जानती है। मुल्जिमान ने अमृतलाल अवस्थी को खुदाई करने से मना किया तथा उनके न मानने पर उन सभी लोगों ने अपने हाथ में लिए हुए कट्टों से फायर किया। मुल्जिम के फायर करने से उसे जोगेन्द्र, लल्लू, चेतराम को फायर के छर्रे लगे थे और चौराहे पर भगदड़ मच गयी। मुल्जिमान के फायर पर चौराहे के बहुत से लोग इकट्ठा हो गये थे। तब मुल्जिमान भाग गये थे। घटना की सूचना अमृतलाल ने थाने हरदी पर दी थी। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

(iii) अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० हीरालाल वशिष्ठ**, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, दिनांक 09–02–2010 को परामर्शदाता जिला चिकित्सालय के पद पर कार्यरत था। उसी दिन उसने **लल्लू अवस्थी** उम्र 52 वर्ष पुत्र जगत नरायन, निवासी भगवानपुर, थाना हरदी, जिला बहराइच जिसे कां० द्वारा लाया गया था। उसकी चोटों का सायं तीन बजे मुआयना किया था। मजरूब के बांये आंख की भौं अन्दर साइड में उभरा हुआ मस्सा था। मजरूब की निम्न चोटें पायी गयीः-

1- हड्डी के ऊपर 1.5 सेमी० X 0.5 सेमी० मांसपेशी तक गहरा फटा घाव था जिसके किनारे खुरदुरे एवं अलग-अलग थे तथा घाव में रक्त स्राव हो रहा था।

2- दोनों कानों से रक्त स्राव था। छाती में दर्द बता रहा था। मजरूब की चोटों को निगरानी में रखा गया एवं एक्स-रे की सलाह दी गयी तथा भर्ती करके नाक, कान, गला विशेषज्ञ उपचार एवं विशेषज्ञ राय हेतु संदर्भित किया गया। चोट ताजी प्रतीत हो रही थी। मजरूब का एक्स-रे दिनांक 10-02-2010 को डॉ० रविनन्दन द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। इन्जरी रिपोर्ट व एक्स-रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। इन्जरी रिपोर्ट पर प्रदर्श क-2, एक्स-रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क-3 डाला गया। एक्स-रे रिपोर्ट डॉ० आर०एन० त्रिपाठी द्वारा तैयार किया गया है उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। चोटों के परीक्षण एवं एक्स-रे के आधार पर उसकी राय में चोटें साधारण प्रकृति की हैं एवं कुन्द हथियार द्वारा

पहुंचायी गयी हैं।

उसी दिन और उसी क्रम में मजरूब **जोगेन्दर** उम्र लगभग 10 वर्ष पुत्र गिरधारी लाल, निवासी भगवानपुर, थाना हरदी जिसको भी कां० द्वारा लाया गया था। ठुड्डी के ऊपर छोटा काला तिल है। मुआयना में निम्न चोटें पायी गयी।

1-फायर आर्म इन्जरी बांये पैर के सामने एंकिल ज्वाइन्ट (टकना) के 4Cm ऊपर जिसका साइज 0.3 सेमी० X 0.3 सेमी गोलाकार जिसके किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए थे, खून बह रहा था। बांये पैर के एक्स-रे के लिए सलाह दी गयी। बांये जांघ के बाहरी तरफ जोकि 0.5 सेमी० X 0.3 सेमी० था रक्त स्राव हो रहा था। चोट नं० 1 आबर्जवेसन पर रख करके बांये पैर का एक्स-रे करवाया गया जिसकी रिपोर्ट डॉ० रविनन्दन श्रीवास्तव द्वारा तैयार की गयी। उसमें रेडियो ग्राफिक्स गोलाकार सैडोज में थे। इन्जरी रिपोर्ट व एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर चोट सं० 1 आग्नेयास्त्र द्वारा पहुंचायी गयी एवं चोट सं० 2 कुन्द वस्तु से पहुंचायी गयी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की एवं ताजी प्रतीत हो रही थी। इन्जरी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क-4** एवं एक्स-रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली पर **प्रदर्श क-5** डाला गया।

उसी दिन उसी क्रम में इंजर्ड **कु० रेखा** उम्र लगभग 8 वर्ष पुत्री कृष्ण कुमार निवासी भगवानपुर, थाना हरदी के चोटों का परीक्षण किया था। रेखा के निम्न चोटें पायी गयी थी:-

चोट नं० 1 फायर आर्म्स इन्जरी बांये जांघ के सामने घुटने के 14 सेमी० ऊपर जो कि 0.4 सेमी० के परिधि में थी जिसकी किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए थे। चोट के किनारे ब्लैकनिंग भी मौजूद थी। चोट को ऑबजरवेसन पर रखा गया एवं जांघ का एक्स-रे करवाया गया। एक्स-रे रिपोर्ट दिनांक-10-02-2010 को डॉ० आर०एन० त्रिपाठी द्वारा तैयार की गयी जिसमें रेडियो ग्राफिक्स सैडोज पाई गयी थी। जो कि गोलाकार थी चोटों के मुआयने व एक्स-रे के आधार पर उसकी राय में किसी आग्नेयास्त्र द्वारा पहुंचायी गयी एवं ताजी थी। इन्जरी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है तथा एक्स-रे रिपोर्ट डॉ० आर० एन० त्रिपाठी द्वारा तैयार की गयी, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क-6 व क-7** डाला गया।

उसी दिन और उसी क्रम में उसने **चेतराम पुत्र सिहारे** के चोटों का भी मुआयना किया और निम्न चोटें पायी गयी:-

चोट नं० 1- फायर आर्म्स इन्जरी ऊन्ड बांये गाल पर मुख के बांये एंगल से बाहर ऊपर की तरफ 03 सेमी० ऊपर एवं बांये तरफ चोट की साइज 0.3 सेमी० किनारे पर ब्लैकनिंग थी एवं रक्त स्राव भी हो रहा था। चोट को ऑबजरबेसन में रखकर खोपड़ी के एक्स-रे की सलाह दी गयी।

चोट नं० 2 कटा हुआ घाव 0.3 सेमी० X 0.3 सेमी० खाल तक गहरा, किनारे खुरदरे एवं अन्दर की ओर मुडे हुए चोट को ऑबजरवेशन में रखकर एक्सरे करवाया गया। एक्सरे रिपोर्ट दिनांकित-10-02-2010 डॉ० रविनन्दन त्रिपाठी द्वारा तैयार की गयी एक्सरे रिपोर्ट में एक रेडियो ओपेक सैडोज पाया गया। चोटो के मुआयने एवं एक्सरे के आधार पर चोट नं० 1 फायर आर्म द्वारा पहुंचायी गयी है। चोट नं०-2 किसी कुन्दालय से पहुंचायी गयी है। चोटे साधारण प्रकृति की थी एवं ताजी थी। इन्जरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है तथा एक्स-रे रिपोर्ट डॉ० आर० एन० त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर क्रमशः

प्रदर्श क-8 व क-9 डाला गया।

(iv) अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एन० त्रिपाठी,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, घटना दिनांक 10–02–2010 को जिला अस्पताल, बहराइच में बहैसियत रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। चोटहिल लल्लू अवस्थी पुत्र जगत नरायन उम्र 52 वर्ष तथा कु० रेखा पुत्री कृष्ण कुमार व जोगेन्द्र पुत्र गिरधारी तथा चेतराम पुत्र सिहारो को पी०एम०ओ० बहराइच द्वारा चोटों की एक्स–रे के लिए उसके पास भेजा गया था। उसके आधार पर उसकी देख–रेख में एक्स–रे टेक्नीशियन द्वारा उपरोक्त चोटहिलों को एक्स–रे कराया गया था। एक्स–रे प्लेट में लगी चोटों के आधार पर उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में चोटहिलों की एक्स–रे तैयार किया था। चोटहिल लल्लू अवस्थी के सर की चोट NED पायी गयी। कु० रेखा के बांये जांघ पर एक्स–रे में दो रेडियो ग्राफिक्स पाया गया। चोटहिल जोगेन्द्र के एक्स–रे में बांये पैर के एक्स–रे में एक रेडियो ग्राफिक्स पाया गया। चोटहिल चेतराम के एक्स–रे में एक रेडियो ग्राफिक्स पाया गया। उपरोक्त एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। उसके लेख हस्ताक्षर में है। जिस पर बने लेख हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। चोटहिल लल्लू के एक्स–रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–3, कु० रेखा के एक्स–रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–7, जोगेन्द्र की एक्स–रे रिपोर्ट पर क–5 तथा चेतराम की एक्स–रे रिपोर्ट पर क–9 पहले से पड़ा है। चोटहिलों की एक्स–रे प्लेट शामिल पत्रावली है जिसके आधार पर उसने एक्स–रे प्लेट तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं। एक्स–रे प्लेट पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 डाला गया।

(v) अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, दिनांक 09–02–2010 को थाना हरदी में उप निरीक्षक पुलिस के पद पर तैनात था। उसी दिन उसने अ०सं० 65/2010, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307 भा०द०सं० व 7 क्रिमि० लॉ० ए० एक्ट विरुद्ध कृष्णगोपाल आदि व अन्य पांच अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रारम्भ करते हुए नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक संजय वर्मा व बयान वादी मुकदमा अमृतलाल पुत्र रामखेलावन का बयान अंकित किया तथा उसी दिन मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण सुन्दरलाल, बाबूलाल, कृष्णगोपाल, राजेन्द्र प्रसाद सुधाकर व दिवाकर को जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, का बयान अंकित किया। दि० 10–02–2010 को मजरूब लल्लू की इंजरी रिपोर्ट अंकित किया तथा मजरूब जोगेन्द्र और मजरूब कु० रेखा की इंजरी रिपोर्ट सी.डी. में अंकित किया तथा उसी दिन मजरूब चेतराम की इंजरी रिपोर्ट को सी.डी. में अंकित किया। वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल जाकर नक्शा नजरी तैयार किया जो शामिल पत्रावली है जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया और उसी दिन समई साक्षीगण रामकुमार व हरिलाल यादव का बयान अंकित। मजरूब लल्लू राम अवस्थी का भी बयान अंकित किया। दिनांक 13–02–2010 मजरूब चेतराम, मजरूब कु० रेखा व मजरूब जोगेन्दर का बयान अंकित किया और गवाह नागेन्द्रनाथ का बयान भी उसी दिन अंकित किया। दिनांक 16–02–2010 को मजरूब लल्लू अवस्थी, मजरूब चेतराम व मजरूब कु० रेखा व मजरूब जोगेन्दर के एक्स–रे रिपोर्ट को सी.डी. में अंकित किया। दिनांक 22–02–2010 को गवाह राम कोमल अवस्थी व गवाह बद्री विशाल, गवाह बसावनलाल का बयान अंकित किया।

दिनांक 03–03–2010 को गवाहान के बयानात व विवेचना के दौरान पाये गये अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण कृष्णगोपाल, बाबूलाल, सुन्दरलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर व दिवाकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा०द०सं० व 7 क्रिमि० लॉ० ए० एक्ट आरोप पत्र सं० 24/2010 न्यायालय पर प्रेषित किया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है, पर प्रदर्श क–11 डाला गया। एच०एम० संजय वर्मा उसके साथ थाना हरदी में कार्यरत रहे हैं जिनके लेख व हस्ताक्षर से वह पूर्णतयः परिचित है। इस पत्रावली पर उपलब्ध चिक एफ०आई०आर० सं० 20/2010 एच०एम० संजय वर्मा के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। संलग्न कार्बन प्रति रपट नं० 21 समय 13 बजे दि० 09–02–2010 उसके सामने है जो संजय वर्मा एच०एम० द्वारा तैयार की गयी है। वह इसकी पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

(vi) अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, दिनांक–09.02.2010 को मैं थाना–हरदी में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। मैं एस०ओ० बृज किशोर यादव कां० जनार्दन सिंह, कां० विनोद कुमार कनौजिया, कां० अरविन्द कुमार कनौजिया के साथ शान्ति व्यवस्था भगवानपुर चौराहा घटनास्थल मुकदमा अपराध संख्या–65/2010 पर मौजूद था कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मुल्जिमान घर के अन्दर छिपे हैं। सूचना पर विश्वास कर अभियुक्त सुंदरलाल वाजपेई के घर का गेट खटखटाया, तो अंदर से दो व्यक्ति तेजी से निकालकर भागे कि गेट के पास ही दोनों को समय 15:00 बजे पकड़ लिया गया। नाम, पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गई, तो एक ने अपना नाम सुंदरलाल वाजपेई तथा दूसरे ने अपना नाम बाबू लाल, निवासी भगवानपुर, थाना–हरदी बताया। सुंदरलाल की जामा तलाशी में उसके पैंट के दाहिने फेंट से घुसा हुआ एक तमंचा 12 बोर बरंग काला बरामद हुआ। उसकी नाल को खोलकर देखा गया, तो उसके अंदर एक अदद कारतूस 12 बोर उबल बी बी शक्तिमान एक्सप्रेस लिखा, बरामद हुआ। खोलकर सूंघने पर ताजे बारूद की खुशबू आ रही थी। दूसरे मुल्जिमान बाबूलाल की जामा तलाशी ली गई। उसके दाहिने पहने हुए पैंट के दाहिने फेंट से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। नाल खोलकर देखा, तो उसमें एक खोखा कारतूस फंसा हुआ था। पैंट के दाहिने जेब से एक अदद 12 बोर कारतूस जिंदा के०एफ० बरामद हुआ, जिसकी नाल से ताजे बारूद की गंध आ रही थी। दोनों मुल्जिमानों से तमंचा व कारतूस रखने का अधिकार–पत्र मांगा गया, तो नहीं दिखा सके। वहीं पर मौजूद जनता के लोगों से गवाही के लिए कहा गया, तो कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। अभियुक्तगण का यह जुर्म धारा–3/25 आयुध अधिनियम का दंडनीय अपराध बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया। बरामद तमंचा व जिन्दा कारतूस को कब्जा में लेकर अलग–अलग सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर ही एस०ओ० बृज किशोर यादव के द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा लिखी गई थी। फर्द पर सभी के अलमात बनवाए गए थे और पढ़कर सुनाया गया था तथा गिरफ्तारी की सूचना मुल्जिमान के परिवार वालों को तथा फर्द की नकल मुल्जिमानों को दी गई। फर्द संलग्न पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह मेरे द्वारा तैयार की गई है। उस पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की साक्षी ने

पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। दिनांक–12.09.2025 को मेरी मुख्य परीक्षा अंकित हुई थी। माल मुकदमा न्यायालय पर उपस्थित न आने के कारण मुख्य परीक्षा निरंतर की गयी थी। आज न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माल मुकदमा के साथ न्यायालय पर उपस्थित आया हूँ। एक अदद तमंचा 315 बोर, जिस पर अपराध संख्या–67/10 अंकित है। सफेद कपड़े में सील मोहर स्थिति में है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसमें एक अदद जिंदा कारतूस एवं एक अदद फायर मिस कारतूस साक्षी ने देखकर तमंचा व बरामद कारतूसों की पुष्टि की और बताया कि घटनास्थल से प्राप्त किया था। तमंचा 315 बोर पर वस्तु **प्रदर्श–1**, फायरशुदा कारतूस पर वस्तु **प्रदर्श–2** व जिंदा कारतूस पर वस्तु **प्रदर्श–3** डाला गया। एक अदद तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस, जो एक सफेद कपड़े में सील मोहर स्थिति में है, जिस पर अपराध संख्या–66/10 अंकित है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया। साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही तमंचा व 12 बोर कारतूस है, जिसे मैंने घटनास्थल से बरामद किया था। साक्षी ने उसकी पुष्टि की। तमंचा 12 बोर पर वस्तु **प्रदर्श–4** व जिंदा कारतूस पर वस्तु **प्रदर्श–5** डाला गया।

(vii) अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी०डब्ल्यू०–7 एस०आई० संजय वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, अपराध संख्या–66/10 व 67/10, धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–हरदी, जिला–बहराइच की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई। दिनांक–09.02.10 को मैं थाना–हरदी में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। मेरे द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त कायमी जी०डी० एस०ओ० वी०के० यादव द्वारा तैयार की गई। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को जानता–पहचानता हूं। उनके हस्ताक्षर व लेख की पुष्टि करता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार एस०ओ० वी०के० यादव की मृत्यु हो गई है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० को देखकर उसकी पुष्टि किया, जिस पर **प्रदर्श क–15** व **प्रदर्श क–16** डाला गया। मेरी मुख्य परीक्षा दिनांक–12.09.2025 को हुई थी, लेकिन समय अभाव के कारण मुख्य परीक्षा निरंतर हो गई थी। आज मैं साक्षांकन हेतु आया हूं। एस०ओ० वी०के० यादव मेरे साथ थाना–हरदी में तैनात थे। उनके आदेश पर मैंने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

(viii) अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी०डब्ल्यू०–8 एस०आई० रघुराज मिश्रा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, पत्रावली में संलग्न आरोप–पत्र व नक्शा–नजरी अपराध संख्या–67/2010, धारा–3/25 आयुध अधिनियम को देखकर साक्षी ने बताया कि विवेचक वी०पी० सिंह के द्वारा तैयार की गई है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को जानता–पहचानता हूं और इसकी पुष्टि करता हूं। आरोप–पत्र पर **प्रदर्श क–15A** व नक्शा–नजरी पर **प्रदर्श क–16A** डाला गया। आरोप–पत्र अपराध संख्या–67/2010, धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–हरदी व नक्शा–नजरी संलग्न पत्रावली है। साक्षी ने देखकर बताया कि विवेचक उप–निरीक्षक वी०पी० सिंह राना के द्वारा तैयार की गई है। साक्षी ने उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की है और कहां की मैं उनको जानता–पहचानता हूं। आरोप–पत्र पर **प्रदर्श क–17** व नक्शा–नजरी पर **प्रदर्श क–18** डाला गया। विवेचक उप–निरीक्षक वी०पी० सिंह राना की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न पत्रावली है।

17– अभियोजन की ओर से मामले को सिद्ध करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए:–

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श कर्ता/तस्दीककर्ता का नाम	प्रदर्श सं.
1.	तहरीर	पी०डब्ल्यू०–1 अमृतलाल	**प्रदर्श क–1**
2.	चोटहिल लल्लू अवस्थी की इन्जरी रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० हीरालाल वशिष्ठ	**प्रदर्श क–2**
3.	चोटहिल लल्लू अवस्थी की एक्स–रे रिपोर्ट (चिकित्सीय प्रपत्र)	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एऩ० त्रिपाठी	**प्रदर्श क–3**
4.	चोटहिल जोगेन्दर की इन्जरी रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० हीरालाल वशिष्ठ	**प्रदर्श क–4**
5.	चोटहिल जोगेन्दर की एक्स–रे रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एऩ० त्रिपाठी	**प्रदर्श क–5**
6.	चोटहिल कु० रेखा की इन्जरी रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० हीरालाल वशिष्ठ	**प्रदर्श क–6**
7.	चोटहिल कु० रेखा की एक्स–रे रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एऩ० त्रिपाठी	**प्रदर्श क–7**
8.	चोटहिल चेतराम की इन्जरी रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० हीरालाल वशिष्ठ	**प्रदर्श क–8**
9.	चोटहिल चेतराम की एक्स–रे रिपोर्ट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एऩ० त्रिपाठी	**प्रदर्श क–9**
10.	नक्शा नजरी घटना स्थल (पुलिस प्रपत्र)	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–10**
11.	आरोप पत्र (पुलिस प्रपत्र)	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–11**
12.	चिक एफ०आई०आर० (पुलिस प्रपत्र)	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–12**
13.	कायमी जी०डी० (पुलिस प्रपत्र)	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–13**
14.	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण/तहरीर मु०अ०सं०-66/2010 व मु०अ०सं० 67/2010	पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–14**
15.	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० संजय	**प्रदर्श क–15**

	(पुलिस प्रपत्र)	वर्मा (पुलिस साक्षी)	
16.	कायमी जी०डी० (पुलिस प्रपत्र)	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० संजय वर्मा (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–16**
17.	नक्शा नजरी मु०अ०सं०-67/2010	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–16A**
18.	आरोप पत्र मु०अ०सं०-67/2010	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० रघुराज मिश्रा (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–15A**
19.	आरोप पत्र मु०अ०सं० 66/2010	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–17**
20.	नक्शा नजरी मु०अ०सं० 66/2010	पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० रघुराज मिश्रा (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श क–18**

वस्तु प्रदर्श–

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श कर्ता/तस्दीककर्ता का नाम	प्रदर्श सं.
1.	तमंचा 315 बोर	पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श–1**
2.	फायरशुदा कारतूस	पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श–2**
3.	जिंदा कारतूस	पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श–3**
4.	तमंचा 12 बोर	पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श–4**
5.	जिंदा कारतूस	पी०डब्ल्यू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव (पुलिस साक्षी)	**प्रदर्श–5**
6.	चोटहिल लल्लू अवस्थी की एक्स–रे प्लेट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एन० त्रिपाठी	**प्रदर्श–1**
7.	चोटहिल कु० रेखा की एक्स–रे प्लेट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एन० त्रिपाठी	**प्रदर्श–2**
8.	चोटहिल जोगेन्द्र की एक्स–रे प्लेट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एन० त्रिपाठी	**प्रदर्श–3**
9.	चोटहिल चेतराम की एक्स–रे प्लेट	पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० आर०एन० त्रिपाठी	**प्रदर्श–4**

18– अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनाँक–**05–05–2023** को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०स० अंकित किये गये, जिसमे कथन किया गया हैं कि –

अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक व वादी द्वारा को गलत बताते हुए साक्षीगण संख्या 1, 5, 6, 7 व 8 द्वारा गलत बयान दिया जाना तथा साक्षीगण संख्या–2, 3,4 के बयानो के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन करते हुए मुकदमें को रंजिशन चलाया जाना तथा सफाई में साक्ष्य दिये जाने का कथन करते हुए अभियुक्त कृष्णगोपाल द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, विवाद मौके पर स्थित सड़क के किनारे की जमीन का था उक्त प्लाट प्रथम सूचक के पिता रामखेलावन से प्रार्थी कृष्णगोपाल ने बैनामा कराया था और मौके पर मेरा कब्जा था। रामखेलावन की मृत्यु के पश्चात अमृत लाल व उनके परिवार के लोग उक्त जमीन पर जिसपर मैं लकड़ी बेचने का काम करता था। जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। दिनांक–02–09–2010 को मैने सिविल कोर्ट बहराइच में अमृतलाल व अन्य के विरूद्ध निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा उक्त तिथि पर ही स्थगन आदेश पारित कर दिया गया था। उक्त प्लाट पर कब्जा करने हेतु अमृतलाल व उनके परिवार वाले जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से बाहरी बदमाश बुलाये थे। जिनके द्वारा डराने धमकाने के लिये फायरिंग की गयी थी। जिसमें पड़ोस के कुछ लोग चोट खा गये थे। स्थानीय विधायक श्री के०के० ओझा के भाई संदीप ओझा मेरे भतीजे सुन्दरलाल से जिला पंचायत का चुनाव हार गये थे। उसी दुश्मनी के कारण विधायक जी ने पुलिस पर नाजायज दबाव डालकर मुझे व मेरे परिवार के लोगो का मुकदमें में फंसा दिया था। मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्त सुन्दरलाल द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, मैं कृष्ण गोपाल का भतीजा हूँ। परिवार का होने के कारण मुझे मुकदमे में फंसा दिया गया। तत्कालीन विधायक श्री के०के० ओझा के भाई संदीप ओझा को चुनाव में हरा दिया था। जिससे दुश्मनी मानते थे। मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्त बाबूलाल द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि,मैं कृष्ण गोपाल का भतीजा हूँ। परिवार का होने के कारण मुझे मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्त दिवाकर द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि,मैं कृष्ण गोपाल का पुत्र हूँ। घटना के समय मैं गांव पर था जो घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर है। परिवार का होने के कारण मुकदमे में फंसा दिया गया है। मैं सिविल कोर्ट बहराइच में वकालत करता हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्त सुधाकर द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि,मैं कृष्ण गोपाल का पुत्र हूँ। परिवार का होने के कारण मुझे मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि,मैं कृष्ण गोपाल का सगा भाई हूँ। दुश्मनी का होने के कारण मुझे मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं निर्दोष हूँ।

19– तदोपरान्त न्यायालय के आदेश दिनांकित–01–08–2025 के द्वारा मामले से सम्बन्धित दो अन्य पत्रावलियों सत्र परीक्षण संख्या–114/2010 व सत्र परीक्षण संख्या–115/2010 में साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके अनुपालन में साक्षीगण पी०डब्लू०–6 एस०आई० बेचू प्रसाद यादव, पी०डब्लू०–7 एस०आई० संजय वर्मा व पी०डब्लू०–8 एस०आई० रघुराज मिश्रा का साक्ष्य अंकित किया गया।

20– अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनाँक–**26–02–2026** को अभियुक्तगण के अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० (313 द०प्र०स०) अंकित किये गये, जिसमे अभियुक्तगण द्वारा साक्षियों के साक्ष्य को गलत बताते हुए मुकदमें को रंजिश की वजह से चलाये जाने कहते हुे सफाई साक्ष्य दिये जाने का कथन करते हुए अभियुक्त **कृष्णगोपाल** द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक–05–05–2023 को अंकित बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० यहां भी पढ़ा जाये वहीं मेरा बयान है। अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से पुलिस द्वारा बिल्कुल गलत बरामदगी दिखायी गयी है। सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से कोई तमंचा, कारतूस आदि की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त **दिवाकर बाजपेयी** द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक–05–05–2023 को अंकित बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में कहा गया कथन ही मेरा कथन यहां भी है। अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से कोई तमंचा, कारतूस आदि की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त **राजेन्द्र प्रसाद** द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक–05–05–2023 को अंकित बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में किया गया कथन ही मेरा कथन है। अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से पुलिस द्वारा बिल्कुल गलत बरामदगी दिखायी गयी है। सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से कोई तमंचा, कारतूस आदि की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त **सुधाकर** द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक–05–05–2023 को अंकित बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में कहा गया कथन ही मेरा कथन है। अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से पुलिस द्वारा बिल्कुल गलत बरामदगी दिखायी गयी है। सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास से कोई तमंचा, कारतूस आदि की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त **सुन्दरलाल वाजपेयी** द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, थाना हरदी की पुलिस भगवानपुर चौराहा से मुझे व मेरे परिवार वालो तथा वादी मुकदमा व अन्य सभी लोगो को उसी दिन हरदी ले गयी थी तथा गलत कार्यवाही करके मेरे विरूद्ध गलत बरामदगी दिखा दी है। मेरे पास से कोई तमंचा या कारतूस बरामद नहीं हुआ है। मुझे चुनावी रंजिश के कारण तत्कालीन विधायक श्री के०के० ओझा ने पुलिस पर दबाव डालकर गलत मुकदमें फंसा दिया है। अभियुक्त **बाबूलाल वाजपेयी** द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया है कि, थाना हरदी की पुलिस भगवानपुर चौराहा से मुझे व मेरे परिवार लोगो को तथा वादी मुकदमा व अन्य सभी लोगो को उसी दिन थाना हरदी ले गयी थी तथा तत्कालीन विधायक श्री के०के० ओझा के दबाव में मेरे विरूद्ध गलत बरामदगी दिखाकर गलत मुकदमे में फंसा दिया। मेरे पास से कोई तमंचा, कारतूस बरामद नहीं हुआ है।

21– अभियुक्तगण को अपने बचाव में सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्ल्यू०–1 सतीश कुमार व डी०डब्ल्यू०–2 परमात्मादीन को परीक्षित कराया गया।

अभियोजन का अभियुक्तगण पर आरोपः

22– अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन का यह आरोप है कि, दिनाँक–09–02–2010 को समय करीब दोपहर 12:00 बजे दिन में बहद स्थान ग्राम भगवान चौराहा, थाना हरदी, जनपद बहराइच में अभियुक्तगण अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अवैध रूप से घातक हथियारों से लैस होकर बलवा

कारित करने हेतु विधि विरूद्ध जमाव करके अवैध सभा का गठन किया तता वादी मुकदमा व उसके परिवार के सदस्यों को अपमानित किया एवं जान माल की धमकी देते हुए आग्नेयास्त्र से फायर करके लल्लू, चेतराम, रेखा व जोगेन्द्र को चोटें पहुंचायी। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से यदि इन लोगो की मृत्यु होती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते।

23– मैने, अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद मिश्रा, एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता से एवं गम्भीरता से परिशीलन किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया ।

<u>अभियोजन का तर्क:</u>

24– विद्वान अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अधिवक्ता) की ओर से तर्क किया गया है कि–

(i) अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके सहयोगियों को जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर किया जिससे उन्हें गम्भीर चोटे आयीं। अभियुक्तगण का अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का है।

(ii) अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के तथ्य के साक्षियों के द्वारा मामले को साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

(iii) सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे अपराध को साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को दोष सिद्ध कर, दण्डित किया जाये।

<u>बचाव पक्ष का तर्क:</u>

25– अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्को के खण्डन में बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि–

(i) अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें चुनावी रंजिश के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध को कारित करने का कोई मोटिव पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है।

(ii) यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है।

(iii) यह भी तर्क दिया है कि,अभियुक्तगण द्वारा चोटहिलो पर कोई फायर नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा डराने–धमकाने के लिए जो बदमाश बुलाये गये थे उन्हीं बदमाशों के द्वारा घटना स्थल पर फायरिंग की गयी थी। उसी के कारण चोटहिलो को चोटे आयीं थी।

(iv) यह भी तर्क दिया है कि, अभियोजन साक्षियों द्वारा चुनावी रंजिश के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी गवाही दी है।

(v) यह भी तर्क दिया है कि,अभियुक्तगण को फर्जी रूप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। गिरफ्तारी का कोई नक्शा नजरी नहीं बनाया गया है।

(vi) यह भी तर्क दिया है कि,अभियुक्तगण द्वारा चोटहिलो से कोई मारपीट नहीं की गयी है,

चोटें वादी मुकदमा के साथ आये बदमाशों द्वारा कारित की गयी है।

(vii) यह भी तर्क दिया है कि,चोटहिलों को आयी कोई भी चोट गम्भीर प्रकृति की नहीं है। जिससे उनकी जान को खतरा हो।

(viii) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, घटना समय 12 बजे दिन की कही गयी है तथा सूचना पर पुलिस का आना तथा अभियुक्तगण को 12.30 बजे गिरफ्तार करना भी साक्ष्य में कहा गया है तो पुनः 03 बजे अभियुक्त सुन्दरलाल व बाबूलाल के पास के कैसे बरामदगी दिखा दी गयी।

(ix) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, आरोप पत्र में गवाहान की सूची में क्रम संख्या–2, 3, 4 व 5 को चोटहिल कहा गया है जबकि मात्र रेखा जो वादी मुकदमा की भांजी है जिसकी उम्र मात्र घटना के समय 8 वर्ष थी को परीक्षित कराया गया है।

(x) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि,अभियोज साक्ष्य में 30–40 राउण्ड गोली चलना कहा गया है जबकि घटना स्थल से कोई टिकली, खोखा बरामद नहीं हुआ है। घटना फर्जी बनायी गयी है।

(xi) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, अभियुक्तगण विवादित स्थल पर वादी मुकदमा व उसके सहयोगी शस्त्रो से लैस होकर पहुंचे और उन्होंने जगह खाली कराने के लिए अग्नेयास्त्रो का प्रयोग किया उसी से कु० रेखा को कोई चोट आयी होगी।

(xii) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, घटना स्थल भीड़–भाड़ वाला ईलाका है जहां पर अभियुक्त की लकड़ी बेचने की दुकान है। उसे जबरदस्ती कब्जा करने और उसका व्यापार ध्वस्त करने की मंशा से वादी मुकदमा अपने साथियों व आसमाजिक तत्वों के साथ वहां पहुंचकर लकडी की दूकान से लकडियां फेक दी और धमकियां देते हुए साथियों से फायर कराये गये।

(xiii) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि,विवादित सम्पत्ति जो बैनामें से खरीद की थी उक्त सम्पपत्ति के सम्बन्ध में वादी मुकदमा के विरूद्ध सिविल न्यायालय में निषेधाड्या का वाद योजित किया गया था। जिसमें निषेधाढा के बावजूद वादी मुकदमा जबरदस्ती जमीन खाली कराने के लिए घटना स्थल पर बदमाशों के साथ पहुंचकर घटना कारित की।

(xiii) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, अभियोजन द्वारा प्रदर्श क–1 तहरीर व पी०डब्लू०–1 द्वारा अपने साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षियों बसावन लाल पुत्र लल्लन अवस्थी, बद्री विशाल पुत्र रामनरेश, रामकोमल पुत्र रामसमुझ, नागेन्द्र नाथ पुत्र राय पदारथ के द्वारा देखा जाना कहा है तथा तहरीर नन्दकुमार अवस्थी से लिखाना कहा है, परन्तु किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी व तहरीर लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है।

(xv) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, तथाकथित घटना के समय कु० रेखा मात्र 2–3 वर्ष की थी। वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी उसे प्रस्तुत न कर किसी अन्य को रेखा बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसने मामले में वादी मुकदमा के कहने के आधार पर झूठी गवाही दी है।

(xvi) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, कथित भूमि बैनामा से वर्ष 1992 में कृष्णगोपाल ने वादी मुकदमा के पिता से खरीदी थी तभी से उस पर कब्जा था।

(xvii) बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, अभियोजन कथानक किसी प्रकार युक्तियुक्त संदेह से

परे अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित नहीं है। समस्त अभियोजन कथानक संदिग्ध है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

26– प्रस्तुत मामला हत्या के प्रयत्न का है, अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा व उसके सहयोगियों को जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर किये जाने का आरोप का है जिसके सम्बन्ध में विधिक स्थिति इस प्रकार है कि–

> **भारतीय दंड संहिता की धारा–147–** जो कोई भी दंगा करने का दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
>
> **भारतीय दंड संहिता की धारा–148–** जो कोई भी दंगा करने का दोषी पाया जाता है, या घातक हथियार से लैस होने का, या किसी ऐसी वस्तु से लैस होने का दोषी पाया जाता है जिसका इस्तेमाल अपराध के हथियार के रूप में करने पर मृत्यु होने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
>
> **भारतीय दंड संहिता की धारा–149**– यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस सभा के सदस्यों को यह ज्ञात हो कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा अपराध किए जाने की संभावना है, तो अपराध किए जाने के समय उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा।
>
> **504. लोक–शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान–** जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक–शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
>
> **506. आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड–** जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायगा;
>
> **यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो–** तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी

स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

307. हत्या करने का प्रयत्न – जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिन्पूर्व वर्णित है।

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न – जब कि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

27– प्रस्तुत मामले में अवधारणीय प्रश्न यह है कि–

(i) क्या यह मामला हत्या करने के प्रयत्न का है?

(ii) क्या अभियुक्त को अपराध कारित करने का कोई हेतुक (मोटिव) था?

(iii) क्या दिनाँक–09–02–2010 को समय करीब दोपहर 12:00 बजे दिन में बहद स्थान ग्राम भगवान चौराहा, थाना हरदी, जनपद बहराइच में अभियुक्तगण अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अवैध रूप से घातक हथियारों से लैस होकर बलवा कारित करने हेतु विधि विरूद्ध जमाव करके अवैध सभा का गठन किया तता वादी मुकदमा व उसके परिवार के सदस्यों को अपमानित किया एवं जान माल की धमकी देते हुए आग्नेयास्त्र से फायर करके लल्लू, चेतराम, रेखा व जोगेन्द्र को चोटें पहुंचायी ?

(iv) क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अभियोजन साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित हैं?

28– अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुँचना है कि क्या अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

साक्ष्यों का मूल्यांकन, आधार एवं निष्कर्ष

29– प्रथमतः विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या यह मामला हत्या के प्रयत्न का है?

(i) इस प्रकरण में वादी मुकदमा चोटहिल अमृतलाल पी०डब्ल्यू०–01 जो मामले का चक्षुदर्शी साक्षी है ने एक लिखित तहरीर थाना हरदी पर इस आशय की दी कि, "कृष्णगोपाल पुत्र मंशाराम

वाजपेई निवासी गंगापुरवा के बगल मेरी जमीन गाटा सं०–490/2 रकबा 0.156 हे० है। जिसमें कृष्णगोपाल मुझसे कहकर लकड़ी रखे थे। आज दिनांक–09.02.2010 को मैंने कहा कि अपनी लकड़ी हमारी जमीन से हटा लें, मैं अपनी जमीन में मकान बनाऊँगा और अपनी जमीन में नींव खुदवाने लगा कि समय करीब 12:00 बजे दिन कृष्णगोपाल पुत्र मंशाराम, सुधाकर व दिवाकर पुत्र कृष्णगोपाल सभी निवासी गंगापुरवा हाल भगवानपुर चौराहा थाना हरदी जनपद बहराइच नजायज कट्टा, बंदूक से लैस होकर आए और कहने लगे कि नींव खोदना बंद कर दो इसमें से रास्ता लेंगे तब नींव खोदना तब तक मेरे परिवार के लोग आ गए, तब कृष्णगोपाल वगैरह सभी छः लोग जान से मारने कि नियत से नाजायज असलहों से फायर करने लगे जिससे लल्लू पुत्र जगतनरायण चेतराम पुत्र रामसिहारे, कु० रेखा पुत्री कृष्णगोपाल व फूलप्रकाश के नौकर जोगेन्द्र निवासी सिपाहिया प्यूली को फायर की चोटें आई हैं। घटना को गवाहान बसावन लाल पुत्र लल्लन अवस्थी, बद्री विशाल पुत्र रामनरेश, रामकोमल पुत्र रामसमुझ, नागेन्द्र नाथ पुत्र राय पदारथ निवासीगण भगवानपुर लोगों ने देखा है सभी के ललकारने पर कृष्णगोपाल वगैरह छः लोग नजायज असलहा लहराते हुए घरों में घुस गए, फायर की आवाज सुनकर चौराहे पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी–अपनी दुकानों की सटर बंद करके छतों पर चढ़ गए, आवागमन ठप हो गया। भगवानपुर चौराहे की तरफ आने वाले सभी वाहन चालक अपने–अपने वाहन खड़े करके भाग गए।"

उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या–65/2010, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149 307, भा०दं०सं० व 7 सी०एल०ए० एक्ट बनाम कृष्णगोपाल आदि के विरूद्ध दर्ज हुआ। विवेचना उपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा मामले में अभियुक्तगण की संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भा०दं०सं० व 7 सी०एल०ए०एक्ट में तथा मु०अ०सं० 66/2010 व 67/2010 में अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबूलाल के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

30– इस स्तर पर अब चोटहिलों की पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना उचितकर होगा।

(i) इस सम्बन्ध में चोटहिल को आयी चोटो के सम्बन्ध में जब हम चिकित्सीय प्रपत्र का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि, मजरूब **लल्लू अवस्थी** को निम्न चोटें पायी गयीः-

चोट संख्या-1-हड्डी के ऊपर 1.5 सेमी० X 0.5 सेमी० मांसपेशी तक गहरा फटा घाव था जिसके किनारे खुरदुरे एवं अलग-अलग थे तथा घाव में रक्त स्राव हो रहा था।

चोट संख्या-2- दोनों कानों से रक्त स्राव था। छाती में दर्द बता रहा था। मजरूब की चोटों को निगरानी में रखा गया एवं एक्स-रे की सलाह दी गयी तथा भर्ती करके नाक, कान, गला विशेषज्ञ उपचार एवं विशेषज्ञ राय हेतु संदर्भित किया गया। चोट ताजी प्रतीत हो रही थी। मजरूब का एक्स-रे दिनांक 10-02-2010 को डॉ० रविनन्दन द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। इन्जरी रिपोर्ट व एक्स-रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। इन्जरी रिपोर्ट को **प्रदर्श क-2, एक्स-रे रिपोर्ट को प्रदर्श क-3** के रूप में साबित किया गया।

चोटों के परीक्षण एवं एक्स-रे के आधार पर चिकित्सक की राय में चोटें साधारण प्रकृति की हैं एवं कुन्द हथियार द्वारा पहुंचायी गयी हैं।

Injury:

1. Lacerated wound over chin Size: 1.5 cm × 0.5 cm × muscle deep Margins irregular and separated, bleeding present.
2. Bleeding from both the ear present
3. Complaint of pain in chest region

Opinion: All the injuries are K/U/O (kept under observation)

Advice:

- X–ray skull AP & lateral view
- Patient hospitalized and referred to surgeon.
- E.N.T. surgeon for management & opinion.

(ii) उसी दिन और उसी क्रम में मजरूब **जोगेन्दर** की चोटो का परीक्षण चिकित्सक साक्षी द्वारा किया गया जिसमे उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी।

चोट संख्या-1-फायर आर्म इन्जरी बांये पैर के सामने एंकिल ज्वाइन्ट (टकना) के 4Cm ऊपर जिसका साइज 0.3 सेमी० X 0.3 सेमी गोलाकार जिसके किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए थे, खून बह रहा था। बांये पैर के एक्स-रे के लिए सलाह दी गयी।

चोट संख्या-2 बांये जांघ के बाहरी तरफ जोकि 0.5 सेमी० X 0.3 सेमी० था रक्त स्राव हो रहा था। चोट नं० 1 आबर्जवेसन में रख करके बांये पैर का एक्स-रे करवाया गया जिसकी रिपोर्ट डॉ० रविनन्दन श्रीवास्तव द्वारा तैयार की गयी। उसमें रेडियो ग्राफिक्स गोलाकार सैडोज में थे। इन्जरी रिपोर्ट व एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर चोट सं० 1 आग्नेयास्त्र द्वारा पहुंचायी गयी एवं चोट सं० 2 कुन्द वस्तु से पहुंचायी गयी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की एवं ताजी प्रतीत हो रही थी। इन्जरी रिपोर्ट को **प्रदर्श क-4** एवं एक्स-रे रिपोर्ट को **प्रदर्श क-5** के रूप में साबित किया गया।

Injury:

1. Firearm wound of entry over front of left leg about 4.0 cm above ankle joint, size approx. 0.3 cm × 0.3 cm. Margins inverted & bleeding. Injury involves left leg & ankle.
2. Abrasion on lateral aspect of left knee joint, size 0.5 cm × 0.3 cm.

Opinion: Injury No. 1 simple in nature.
Advise: X–ray left leg & ankle.

(iii) उसी दिन उसी क्रम में इंजर्ड **कु० रेखा** की चोटों का परीक्षण किया था। रेखा के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी:-

चोट संख्या-1 फायर आर्म्स इन्जरी बांये जांघ के सामने घुटने के 14 सेमी० ऊपर जो कि 0.4 सेमी० के परिधि में थी जिसकी किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए थे। चोट के किनारे ब्लैकनिंग भी मौजूद थी। चोट को ऑबजरवेसन पर रखा गया एवं जांघ का एक्स-रे करवाया गया। एक्स-रे रिपोर्ट दिनांक-10-02-2010 को डॉ० आर०एन० त्रिपाठी द्वारा तैयार की गयी जिसमें रेडियो ग्राफिक्स सैडोज पाई गयी थी, जो कि गोलाकार थी चोटों के मुआयने व एक्स-रे के आधार पर चिकित्सक की राय में किसी आग्नेयास्त्र द्वारा

पहुंचायी गयी एवं ताजी थी। इन्जरी रिपोर्ट को **प्रदर्श क-6** तथा एक्स-रे रिपोर्ट को **प्रदर्श क-7** के रूप में साबित किया गया।

Injury:

1. A firearm wound of entry over front of left thigh, 14.0 cm above knee joint.
2. Size 0.4 cm in diameter. Margins inverted and blackening present. No exit wound advised. X–ray left thigh AP & lateral view. Bleeding present from the wound.

Opinion: Firearm injury.

Advice: X–ray left thigh AP & lateral view.

(iv) उसी दिन और उसी क्रम में चोटहिल **चेतराम पुत्र सिहारे की** चोटों का भी परीक्षण किया गया और निम्न चोटें पायी गयी:-

चोट संख्या-1 फायर आर्म्स इन्जरी ऊन्ड बांये गाल पर मुख के बांये .....की तरफ 0.3 सेमी० ऊपर एवं बांये तरफ चोट की साइज 0.3 सेमी० किनारे पर ब्लैकनिंग परजेन्ट थी एवं रक्त स्राव भी हो रहा था। चोट को ऑबजरबेसन में रखकर खोपड़ी के एक्स-रे की सलाह दी गयी।

चोट संख्या- 2- कटा हुआ घाव 0.3 सेमी० X 0.3 सेमी० खाल तक गहरा, किनारे खुरदरे एवं अन्दर की ओर मुडे हुए चोट को ऑबजरवेशन में रखकर एक्सरे करवाया गया। एक्सरे रिपोर्ट दिनांकित- 10-02-2010 डॉ० रविनन्दन त्रिपाठी द्वारा तैयार की गयी एक्सरे रिपोर्ट में एक रेडियो ओपेक सैडोज पाया गया। चोटो के मुआयने एवं एक्सरे के आधार पर चोट नं० 1 फायर आर्म द्वारा पहुंचायी गयी है। चोट नं०-2 किसी कुन्दालय से पहुंचायी गयी है। **चोटे साधारण प्रकृति की थी एवं ताजी थी**। इन्जरी रिपोर्ट को **प्रदर्श क-8** तथा एक्स-रे रिपोर्ट को **प्रदर्श क-9** के रूप में साबित किया गया।

Injury: –

1. One lacerated wound of size over left cheek 3.0 cm length and upward to left oral angle. size 3.0 mm × 3.0 mm margins irregular, edges not, bleeding was present.
2. Another wound 0.3 cm × 0.3 cm on scalp. margins irregular & lacerated bleeding present.

Opinion – All the injury caused by sharp and hard object.

31– इसी क्रम में चिकित्सक साक्षी **श्री आर०एन० त्रिपाठी पी०डब्लू०–4** के साक्ष्य का अवलोकन किया जाना उचितकर होगा जिनके द्वारा चोटहिलो का एक्स–रे परीक्षण किया गया है। चोटहिल लल्लू अवस्थी, कु० रेखा, जोगेन्द्र तथा चेतराम को पी०एम०ओ० बहराइच द्वारा चोटों की एक्स–रे के लिए उसके पास भेजा गया था। उसके आधार पर उसकी देख–रेख में एक्स–रे टेक्नीशियन द्वारा उपरोक्त चोटहिलों को एक्स–रे कराया गया था। एक्स–रे प्लेट में लगी चोटों के आधार पर उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में चोटहिलों की एक्स–रे तैयार किया था। चोटहिल लल्लू अवस्थी के सर की चोट NED पायी गयी। **कु० रेखा के बांये जांघ पर** एक्स–रे में दो रेडियो ग्राफिक्स पाया गया। **चोटहिल जोगेन्द्र के एक्स–रे में बांये पैर** के एक्स–रे में एक रेडियो ग्राफिक्स पाया गया। चोटहिल चेतराम के एक्स–रे में एक रेडियो

ग्राफिक्स पाया गया। उपरोक्त एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। जिन्हें क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1, 2, 3, 4 केरूप में साबित किया गया।

32– उपरोक्त साक्षियों से बचाव पक्ष ने विस्तृत जिरह की गयी जिरह में साक्षी पी०डब्लू०–3 हीरालाल वशिष्ट ने साक्ष्य दिया कि, "चोटहिल लल्लू अवस्थी की चोट साधारण है तथा जोगिंदर व चेतराम को अग्नेयास्त्र व कुदाल से **चोटे साधारण प्रकृति चोटे आयी है।** वहीं कु० रेखा को अग्नेयास्त्र के छर्रे की चोट आयी है जो साधारण प्रकृति की थी। **कोई चोट ऐसी नहीं थी जिससे जीवन को खतरा होने की संभावना बनती हो।** डॉक्टर आर०एन० त्रिपाठी इस समय मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो गया था। इस समय कहां है मुझे नहीं पता। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण मैंने चोटे गलत तरीके से लिख दी। साक्षी पी०डब्लू०–4 आर०एन० त्रिपाठी ने साक्ष्य दिया कि एक्स–रे में जो रेडियो ओपेक्स पाया गया है वह स्किन डीप हो सकता है, क्योंकि उससे गहरी एक्स–रे की छाप नहीं डाली जा सकती।

उक्त साक्षियों की साक्ष्य एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मजरूबो को आयी सभी चोंटे साधारण प्रकृति की थी। जो प्राण घातक नहीं थी।

33– अब न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि, क्या अपराध कारित करने का कोई हेतुक (मोटिव) अभियुक्तगण का था?

उल्लेखनीय है कि, मोटिव जो कि एक मानसिक तत्व है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मस्तिष्क में झांककर नहीं देख सकता कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, परन्तु तथ्यों से यह साबित किया जा सकता है कि वास्तव में कोई मोटिव अभियुक्तगण का था। अभियोजन साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा अमृतलाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्वीकार किया है कि, विवादित स्थल को उसके पिता द्वारा बैनामें से अभियुक्त कृष्णगोपाल को विक्रय किया था और उस पर अभियुक्तगण का ही कब्जा था जिसपर वे लकड़ी बेचने का व्यवसाय करते थे। वादी मुकदमा घटना स्थल वाले दिन स्वयं अपने पुत्रों व परिवार के 6–7 लोगो को लेकर घटना स्थल पर नींव खोदने गया जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश घटना से करीब एक सप्ताह पूर्व पारित किये गये थे जो पत्रावली पर साबित है। ऐसे में न्यायालय के आदेश के बावजूद वादी मुकदमा स्वयं घटना स्थल पर अपने साथियों के साथ गया था तथा अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षियों व घटना स्थल पर उपस्थित उसके पुत्र दिनेश व उमेश को परीक्षित नहीं कराया। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है मामले में चुनावी रंजिश व विवादित भूमि को लेकर पक्षों के मध्य मुकदमें बाजी चल रही है। यहां वादी मुकदमा स्वयं विवादित स्थल पर अपने साथियों के साथ गया है, बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के द्वारा यह भी साबित किया है कि, चुनावी रंजिश जो के०के० ओझा व सुन्दरलाल के मध्य थी, वादी मुकदमा के०के० ओझा का कार्यकर्ता था। क्योंकि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है इसलिए मोटिव को अक्षरशः साबित करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रत्येक मामले में उसके तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर मोटिव को देखा जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि, हेतुक एक मानसिक तत्व है प्रत्येक आपराधिक मामले में घटना का वास्तविक हेतुक अभियोजन द्वारा साबित किया जाना कठिन कार्य है, जहां घटना की सीधी एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध हो उस स्थिति में हेतुक का महत्व नहीं बचता है। जैसा कि न्याय निर्णय **राजू माँझी बनाम बिहार राज्य** AIR 2018 SC 3592 में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया है। प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसमें मोटिव अपना अहम रोल अदा करता है। उक्त बिन्दु पर की गयी उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्था में दिये गये विधिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अभियोजन मामले में अभियुक्त का अपराध कारित करने का मोटिव साबित करने में असफल रहा है।

34– अब विचारणीय प्रश्न यह है कि,क्या मजरूबो को चोंटे अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है ?

इस बिन्दु पर अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 अमृतलाल की साक्ष्य का जब अवलोकन करते है साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया। साक्षी ने घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि,इस घटना में मुझको कोई चोट नहीं आयी। घटना के समय मैं नींव खोदवा रहा था। नींव मैं खुद खोद रहा था। फावड़े से खोद रहा था। मैंने नींव खोदने के लिए कोई मजदूर नहीं बुलाया था। मैं नींव दिन में 12 बजे लगभग से खोदना शुरू किया था। मेरे घर से नींव खोदने वाली जगह 2 फलांग होगी। नींव खोदने के लिए परिवार में मेरे साथ परिवार के बसावनलाल, बद्री प्रसाद, राम कोमल, नागेन्द्रनाथ ये लोग मेरे साथ थे। इन लोगो को मैंने नींव खोदवाने के लिए मौके पर ले गया था। मैं अपने समर्थन में नहीं ले गया था। ये लोग अपना फावड़ा लेकर नहीं गये थे। फावड़ा केवल एक था। मेरे साथ विवादित प्लाट पर गये बसावनलाल, बद्री प्रसाद, राम कोमल, नागेन्द्रनाथ को भी कोई चोट नहीं आयी थी। जिस प्लाट का विवाद था वह पहले मेरे पिता जी के नाम था। इस प्लाट से मिला हुआ कृष्णगोपाल का घर है। कृष्णगोपाल, सुन्दरलाल, बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर तथा दिवाकर एक ही परिवार के है। प्लाट का बैनामा मेरे पिता ने कृष्णगोपाल मुल्जिम के नाम रजिस्ट्री कर दिया था। बाद में उसी प्लाट में अपने पिता से अपने नाम बैनामा कराया था।

साक्षी ने आगे कहा कि, रामगोपाल के आवास से मिली हुई प्लाट वाली जामीन पर कृष्णगोपाल लकड़ी बेंचने का काम करते थे। जिस जमीन पर कृष्णगोपाल लकड़ी बेंचने का काम घटना के समय करते थे वह मेरी जमीन है। मैंने कृष्णगोपाल से कहा था कि वह अपनी लकड़ी इस जमीन से हटा लें। मुझे मकान बनवाना है लेकिन कृष्ण गोपाल ने लकड़ी हटाने से मना कर दिया था। कृष्ण गोपाल द्वारा मना कर दिए जाने पर मैंने पुलिस में जाकर कोई मदद नहीं माँगी थी न मैंने अदालत पर कोई कार्यवाही की। कृष्ण गोपाल ने मेरे विरूद्ध दीवानी न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा दायर किया था। इस घटना के पहले दीवानी न्याालय द्वारा दिनांक 02.02.2020 को हम लोगों के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया था।

35– साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि, घटना वाले दिन मैं उसी जगह पर जहाँ लकड़ी थी, नींव खोद रहा था। मैं व मेरा लड़का नींव खोद रहे थे। विवाद के समय मेरे परिवार के लोग वहाँ आ गये थे। करीब 15 मिनट तक मैंने नींव खोदी थी, जब मुल्जिमान ने आकर मुझको रोका था। मुल्जिमान ने आकर जब मुझको मना किया और मैं नहीं माना तो मुल्जिमान ने हवा में फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर आस पास के बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गये। जब हवा में फायरिंग हो रहे थे तब हम लोग डर

के कारण वहाँ से हट गए।

विवादित प्लाट जहाँ घटना स्थल है। वह स्थान भगवानुर बाजार का चौराहा है। इस बाजार में कपड़ा लोहा बर्तन परचून पान चाय हलवाई आदि की दुकान है। इस जगह से करीब एक किलोमीटर की दूसरी पर थाना हरदी है। भगवानपुर से जीप टेम्पो इक्का तांगा तथा बस बहराइच व अन्य जगहों के लिए चलती थी। इस बाजार में थाना हरदी के सिपाही दरोगा रहते हैं। दिन में जरूरी नहीं की रहें। इस घटना के बाद पुलिस वाले मुल्जिमान को थाना हरदी ले गये थे। मेरी सूचना के बाद ले गए थे। घटना के बाद दिन में साढ़े बारह बजे करीब थाना हरदी के पुलिस वाले इन सभी मुल्जिमान को अपने साथ थाना हरदी ले गये थे। पुलिस वाले जीप लाये थे। उसी जीप से इन मुल्जिमान को थाना हरदी ले गए थे। घटना स्थल से थाना हरदी पहुँचने पर करीब पांच मिनट लगता है। उस पुलिस जीप में थाना हरदी के एस०ओ० व एस०आई० बेचू प्रसाद थे और सिपाही थे। घटना वाले दिन मैं थाना हरदी से उसी दिन डेढ़ बजे थाने से घर पर आ गये थे। फिर उस दिन थाने पर मैं दो बजे दिन को गया था। उस समय यह मुल्जिमान थाने पर मौजूद थे। फिर चोटहिल को देखने अस्पताल चले गए।

सुन्दरलाल बाजपेई करीब 25 साल से भगवानपुर चौराहे पर रह रहे हैं। उनके परिवार के लोग मेरे पुरवा में रहते हैं। इस घटना के पहले पंचायत चुनाव लड़ने का तो मुझको नहीं पता कि उस चुनाव में सुन्दर लाल बाजपेई व के. के. ओझा चुनाव लड़े थे या नहीं। यह भी नहीं पता कि के. के. ओझा चुनाव जीत गए थे और सुन्दर लाल चुनाव हार गये थे। यह मुझे पता है कि बाद में के.के.ओझा एम.एल.ए. हो गये थे। घटना के समय वह बने थे या नहीं मैं नहीं बता सकता। **के. के. ओझा के भाई संदीप के बीच पंचायत का चुनाव हुआ था। जिसमें सुन्दर लाल बाजपेई जीत गये थे और संदीप हार गये थे।**

साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, विवादित प्लाट कृष्ण गोपाल का था, जिस पर उनका कब्जा था। इससे भी इन्कार किया कि, हम लोग के.के.ओझा की पार्टी में थे तथा उनकी मदद करते थे। इस सुझाव से भी इन्कार किया कि, हम लोग उस समय एम.एल.ए. के.के. ओझा व स्थानीय की मदद से प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। इस सुझाव से भी इन्कार किया कि, हम लोगो ने बदमाशों को बुलवाया था और जब बदमाश बाजार में घिर गये तो उन्होंने बचने के लिए वा भागने के लिए फायर किये थे जिसमें अगल–अलग कुछ लोगों को चोटें आईं थी। इससे भी इन्कार किया कि, एम.एल.ए. साहब के कहने पर पुलिस वाले हम लोगों के राय मशवरे से सुन्दरलाल व उनके परिवार को फंसा दिया था।

36– इस साक्षी की साक्ष्य का जब समग्र विश्लेषण करते है तो यह तस्वीर उभरकर आती है कि, यह साक्षी जिस प्लाट पर अभियुक्त कृष्णगोपाल का कब्जा था और जिसके सम्बन्ध में दीवानी वाद जिमसें स्थगन आदेश वादी मुकदमा के विरूद्ध पारित किया था तथा इस जमीन रजिस्ट्री वादी मुकदमा के पिता द्वारा कृष्ण गोपाल के हक में कर दी थी उस पर जबरदस्ती नींव खोदने स्वयं अपने पुत्र व परिवार के सदस्यों बसावनलाल, बद्री प्रसाद, राम कोमल, नागेन्द्रनाथ के साथ गया था तथा वादी मुकदमा की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण को 12:30 बजे गिरफ्तार कर समय 12:35 बजे थाना हाजा पर ले गये तथा जब साक्षी थाना हाजा पर दोबारा समय 02 बजे पहुंचा तो मुल्जिमान थाने पर मौजूद थे। इस साक्षी के कथनानुसार मुल्जिमान द्वारा हवाई फायर किये जाने का कथन किया गया है। इस साक्षी को कोई चोट किसी भी प्रकार

की नहीं आयी। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया गया है, के०के० ओझा व सुन्दरलाल के मध्य चुनावी रंजिश दर्शित हो रही है। घटना स्थल अभियुक्तगण कृष्णगोपाल द्वारा बैनामे से खरीदी हुई जमीन है जो उससे घर से लगी हुई है जिस पर पहले से ही लकड़ी बेचने का व्यवसाय करता चला आ रहा है। इस सम्पत्ति को वादी मुकदमा के पिता द्वारा अभियुक्त कृष्णगोपाल को जरिए बैनामा बेचा था। उक्त बैनामा के कैंसिंलेशन के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया था। वादी मुकदमा द्वारा अपने पिता के जीवित रहते समय उक्त सम्पत्ति पर कोई विवाद नहीं किया गया। इस घटना के पूर्व विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा कोई शिकायत किसी भी प्रशासन या पुलिस के उच्चाधिकारियों से नहीं की गयी। यह साक्षी स्वयं घटना स्थल पर अपने पुत्र व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गया , इस साक्षी के बयानो में विरोधाभाष दर्शित हो रहा है।

37– अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के द्वितीय साक्षी **पी०डब्लू०–02 कु० रेखा, को परीक्षित कराया गया जो घटना की चोटहिल साक्षी है, यह साक्षी संयोगवश गवाह (चांस विटनेस) है।** जो दूसरे गांव की और संयोगवश जोगिन्दर के साथ घटना स्थल पर बाजार से सामान खरीदने आना बता रही है। साक्षी ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया है, इस मुकदमें के किसी मुल्जिम से मेरी दुश्मनी नहीं है। मुझे मारने के लिए मुझ पर किसी ने फायर नहीं किया था। छर्रा इत्फाक मेरी जाँघ में लग गया था। उस समय जब मेरे छर्रा लगा था उस समय मौके पर बाजार के 50–60 लोग मौजूद थे इधर उधर भाग दौड़ रहे थे जैसे मेरे चोट लगी थी मुझे किसी ने वहाँ से हटाया नहीं था। करीब 10 मिनट के बाद पुलिस वाले मौके पर आ गये थे उन्होने मुझे व अन्य से पूंछा कि आपको चोट लगी है तो मैने उनको बताया कि मुझे छर्रे की चोट लगी है। फिर दरोगा जी हम लोगों को अपनी जीप में बैठा कर थाने ले गये मुझे नहीं पता कि सुन्दरलाल, व बाबूलाल को हम लोगों के साथ ले गये या नहीं उस समय सुन्दरलाल, बाबू लाल को नाम से जानती थी। थाने पर इन लोगों को नहीं देखी थी।

जब दरोगा जी ने मुझे पूंछा तो मैने उनको बताया था कि सुन्दरलाल वगैरह 6 लोगों ने फायर किया था। उस समय मैं सुन्दरलाल, बाबूलाल के अलावा मैं किसी का नाम नहीं जानती थी। इसलिए मैं दरोगा जी को अपने बयान में सुन्दरलाल, बाबूलाल के अलावा अन्य मुल्जिमान का होना बताया था लेकिन नाम नहीं बताये थे। बाबूलाल नाम किसी ने नहीं बताया था। दरोगा जी ने यदि मेरे बयान में बाबूलाल का नाम नहीं लिखा है तो इसकी वजह मैं न बता पाऊंगी। बाबूलाल के दो बच्चे है उनके नाम अंश और आयुष है। इनके घर मैं आती जाती हूं।

अमृतलाल, उमेश और दिनेश पर फायर 6 मुल्जिमान ने उस समय किया जब वे नींव खोद रहे थे। यह 6 लोग अमृतलाल, व उनके दोनों लड़के, उमेश व दिनेश से 2–3 कदम की दूरी पर रहे होंगे। जिस जगह नींव खोद रहे थे उस जगह दुकान की दीवार है। उस समय हम लोग पक्की सड़क पर थे इन तीनो पर मुल्जिमान ने फायर किया तो इन तीनों को कोई चोट नहीं लगी। <u>इन तीनों पर मुल्जिमान बराबर फायर करते रहे अन्दाज से करीब 30–40 फायर किये होंगे।</u> जब पूरा बाजार मौके पर इकट्ठा हो गया तब 6 मुल्जिमान वहाँ से चले गये। मुल्जिमान के जाने के पश्चात अमृतलाल, दिनेश व उमेश भी नींव खोदने वाले

स्थान से चले गये। यह लोग कहां गये मुझको नहीं पता। इन तीनों से वहाँ पर कोई बात–चीत नहीं हुई।

साक्षी ने आगे कथन किया है कि, मेरा घर ग्राम अवस्थीपुरवा है जो भगवानपुर बाजार से पूरब तरफ स्थित है। यह सही है कि गुल्ले मेरे पिता के मामा के लड़के है इसी रिस्ते से अमृतलाल को हम लोग मामा कहते है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, वह अमृतलाल के कहने से मुकदमें में मुल्जिमान के खिलाफ गवाही देते आयी हूं।

उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य का जब समग्र विश्लेषण करते है तो यह स्थिति निकलकर आती है कि, यह साक्षी अवस्थीपुरवा दूसरे गांव की रहने वाली है, इसकी उम्र घटना के समय 08 वर्ष बतायी गयी है। इस साक्षी का एक्स–रे रेडियोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक–10–02–2010 को हुआ जिसमें इस साक्षी की उम्र 2 साल महिला (2 Y F) अंकित है जो जोगिन्दर के साथ सामान खरीदेने अवस्थी पुरवा से भगवानपुर आयी थी। इस साक्षी को के साक्ष्य से यह भी तथ्य उभरकर आया है कि, नींव अमृतलाल, उसके दो पुत्र दिनेश व उमेश खोद रहे थे, जबकि अमृतलाल के बयानो में उमेश या दिनेश का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी तथ्य उभरा है कि, मुल्जिमान द्वारा 30–40 राउण्ड फायर अमृतलाल, दिनेश व उमेश पर किये परन्तु उन्हें कोई चोट नहीं आयी। अमृतलाल पी०डब्लू०–1 ने अपने बयानो में उसे या उसके पुत्रों को कोई चोट आने से इन्कार किया है। यह साक्षी घटना के समय काफी छोटी उम्र के बच्चे के रूप में था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बच्चों के साक्ष्य के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानो पूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा उसके साक्ष्य की अन्य साक्षियों के साक्ष्य से पुष्टि किये जाने की आवश्यकता कही है। इस साक्षी के साक्ष्य का सम्पोषण किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य से नहीं हो रहा है और न ही अभियोजन द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत कर कराया है। मामले में अन्य चोटहिल साक्षियों को वादी मुकदमा अमृतलाल द्वारा प्रार्थना पत्र देकर डिस्चार्ज कराया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के साक्षियों के अलवा अन्य कोई तथ्य का साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

38– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–5** बेचू प्रसाद यादव को परीक्षित कराया है जिसने मामले मु०अ०सं०–65/2010 की विवेचना पूर्ण की है। इस साक्षी द्वारा नक्शा–नजरी प्रदर्श क–10, आरोप पत्र को प्रदर्श क–11, चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–12 व कायमी जी०डी० को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, <u>गवाह रेखा ने अपने धारा–161 सी–आर०पी०सी० के बयान में अभियुक्त कृष्ण गोपाल, बाबूलाल, राजेन्द्र, सुधाकर और दिवाकर का नाम नहीं बताया था।</u> केवल 6 अभियुक्तगण का होना बताया था। मैं विवेचना मिलने के पश्चात करीब 02:45 बजे दिन में घटनास्थल के लिये रवाना हुआ था और करीब 03:00 बजे के अंदर ही मौके पर पहुंच गया था। केस डायरी मैंने थाने पर लिखी थी। जब थाने पर मुझको विवेचना प्राप्त हुयी थी उस समय एस०ओ० महोदय थाने पर मौजूद थे या नहीं, मुझे याद नही। गवाह ने आगे साक्ष्य दिया है कि, मुल्जिमान थाने पर गिरफ्तार होकर शाम 05 बजे ही लाये गये थे। घटना स्थल भगवान पुर बाजार का है। मुख्य सड़क के दोनो ओर घर व दुकाने है। इस मुकदमें में जो गवाह बताये गये थे केवल उन्हीं की बयान मैने लिया। मौके पर बाजार में जो दुकाने थी। उन गवाहानो की थी या नहीं यह मुझे

नहीं पता। जो घटना स्थल मैंने नक्शा नजरी पर दिखाया है वह ख़ाली प्लाट है। उसके पश्चित तरफ मिली हुई मुल्जिम कृष्णगोपाल का मकान है और पूरब तरफ भी दुकाने है। इस स्थान पर फायर आर्म से सम्बन्धित फायर के अवशेष टिकली, छर्रे मुझको नहीं मिले थे। प्लाट के दोनो तरफ जो दीवारे है उनपर भी टिकली व छर्रे का निशान मौजूद नहीं था। इस प्लाट से मिली हुई उत्तर की तरफ पक्की सड़क है जो बहराइच को जाती है। मुझको इस समय याद नहीं है कि उस समय क्षेत्र के एम०एल०ए० के०के० ओझा या कोई और था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि राजनैतिक प्रतिद्वदंता के कारण क्षेत्रीय एम०एल०ए० से मिलकर अभियुक्तगण के विरूद्ध फर्जी मुकदमा बयाना गया है। इस सुझाव से इन्कार किया राय मशविरा के मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट व तहरीर तैयार करायी गयी और एक ही परिवार के सभी सदस्यों को अभियुक्त बना दिया गया। मुझे नहीं पता की इस मुकदमें में जिन लोगो को चोटे आना बताया गया है इनको प्रथम सूचक से कोई सम्बन्ध था अथवा नहीं।

39– इस साक्षी के साक्ष्य का जब हम समग्र विश्लेषण करते है तो पाते है कि, यह साक्षी मात्र औपचारिक पुलिस साक्षी है जिसने विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त घटना का नक्शा नजरी व विवेचना उपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया है तथा उन्हें साबित किया है। साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा उसे किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया था तथा न ही साक्षी को घटना स्थल से छर्रा, टिकली, खोखा न मिलने का साक्ष्य दिया है। प्लाट दीवारो से घिरा दीवारो पर भी कोई गोली के निशान न मिलना कहा है। घटना स्थल भीड़–भाड़ वाला ईलाका है जिसके आस–पास मकान व दुकाने है। इस साक्षी द्वारा उन दुकानदारो का साक्ष्य लिये जाने से इन्कार किया है। मात्र वादी मुकदमा द्वारा बताये गये लोगो के बयान दर्ज किये है। इस साक्षी ने मुल्जिमानो को शाम 3 बजे गिरफ्तार करना कहा है जबकि साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा मुल्जिमानो को 12:30 बजे गिरफ्तार करना तथा 12:35 बजे थाना हाजा पहुंच जाना तथा वादी मुकदमा अभियुक्तगण को 02 बजे मुल्जिमानो को थाने पर बैठे देखना साबित किया है। जो इस साक्षी के गिरफ्तारी के समय में व बरामदगी असलहा में गम्भीर विरेधाभाष है।

40– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–6** बेचू प्रसाद यादव को पुनः साक्षी के रूप में पेश किया जो मु०अ०सं०–66/2010 व मु०अ०सं०–67/2010 का वादी मुकदमा है। जिसने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। साक्षी के द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी असलहा की फर्द को प्रदर्श क–14 के रूप साबित किया है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, इस मुकदमें में मेरा पहले बयान हुआ था। मेरी बहराइच में तैनाती के समय कृष्ण कुमार ओझा विधायक फखरपुर विधानसभा के थे।

41– इस साक्षी की शेष जिरह हेतु दिनांक–06–02–2026 को अंकित की गयी। जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि, मुझे यह जानकारी नहीं है कि कृष्ण कुमार ओझा इसके पहले वर्ष 2005 में जिला पंचायत चुनाव लड़े थे मुझे यह भी नहीं मालूम कि अभियुक्त सुंदरलाल व के०के० ओझा के मध्य जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और के० के० ओझा चुनाव जीत गए थे। मुझे इस समय याद नहीं है कि के०के० ओझा के विधायकी जीत जाने पर जिला पंचायत सदस्य की सीट खाली हो गयी थी तब <u>के०के०</u>

ओझा के भाई संदीप व अभियुक्त सुंदरलाल के मध्य जिला पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें के०के० ओझा के भाई संदीप चुनाव हार गये और अभियुक्त सुंदरलाल चुनाव जीत गए। मुझे यह जानकारी नहीं है कि के०के० ओझा विधायक व सुंदरलाल के परिवार से रंजिश थी। मैं मुकदमा अपराध संख्या 65/2010 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हरदी का विवेचक था। घटनास्थल भगवानपुर मेरे थाने हरदी से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। भगवानपुर चौराहा काफी बड़ा है पचासो दुकाने हैं, खाने–पीने का हर सामान मिलने की दुकान यहां पर हैं काफी भीड़ रहती है। कभी–कभी भगवानपुर चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस व्यवस्था रहती है।

साक्षी ने आगे कथन किया है कि, मु०अ०संख्या 65/2010 की घटना के समय मैं कहां था सही याद नहीं है शायद थाने पर रहा हूंगा। मुझे याद नहीं है की घटना वाले दिन में कितने बजे भगवानपुर चौराहा पहुंचा था। यह भी नहीं याद नहीं कि घटना वाले दिन में कहां से भगवानपुर चौराहा गया था। जब मुझे थाने से कहीं जाना होता है तब थाने की जी०डी० में रवानगी दर्ज करा कर जाते हैं। मुझे याद नहीं है की घटना वाले दिन घटनास्थल पर जाने के लिए मेरी रवानगी जी०डी० में दर्ज हुई थी अथवा नहीं। मैं घटनास्थल पर थाने की तमाम फौज के साथ गया था। मेरे अलावा कई सब इंस्पेक्टर व कई पुलिस वाले घटनास्थल पर गए थे। मुझे यह याद नहीं है कि भगवानपुर से मैं थाना अपने साथ किस–किस को लेकर गया था, लेकिन यह याद है कि वादी के को साथ लेकर नहीं गया था। जब मैं थाने पर पहुंचा तब वहां वादी नहीं था मुझे यह याद नहीं है कि वादी मुझे भगवानपुर में मिला था अथवा नहीं। मैं भगवानपुर में कई घंटे रुका था लेकिन यह नहीं बता पाऊंगा की कितने घंटे रुका था। भगवान पर में मेरे साथ थानाध्यक्ष थे जो कार्यवाही हुई वह उनके द्वारा हुई फिर एस०ओ० साहब के साथ मेरी वापसी थाना पर हुई। घटना वाले दिन शाम 5:10 बजे थाने वापसी हुई। जो जो कार्यवाही एस०ओ० साहब द्वारा की गई उस पर उनके बताने के अनुसार मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। मुझे यह याद नहीं की घटना वाले दिन फिर दोबारा मेरा आना भगवानपुर नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन मैं भगवानपुर गया और अभियुक्त सुंदरलाल व बाबूलाल के घर गया या नहीं एवं कोई कार्यवाही मैंने किया या नहीं याद नहीं है अभियुक्त सुंदरलाल व बाबूलाल के पास से जो मैंने बरामदगी दिखाई है उस समय एस०ओ० साहब मेरे साथ थे फोर्स भी साथ थी और वही वादी मुकदमा थे। मुकदमा अपराध संख्या– 66/2010, 67/2010 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की समस्त कार्यवाही एस०ओ० साहब द्वारा स्वयं की गई थी और गवाह में हस्ताक्षर करवाए गए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि अभियुक्त सुंदरलाल व बाबूलाल के पास से जो बरामदगी दिखायी गयी वह उनके पास से नहीं बरामद हुई और न तो उनके घर के आस–पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। मुझे याद नहीं है कि विधायक के० के० ओझा मौके पर मौजूद थे अथवा नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया सुन्दर लाल व बाबूलाल के पास से फर्जी बरामदगी के०के० ओझा विधायक के दबाव में करायी गयी। इससे भी इन्कार किया कि, मौके पर न कोई फर्द तैयार की गयी और न कोई सामान सील मुहर हुआ।

42– इस साक्षी के साक्ष्य का जब हम समग्र विश्लेषण करते है तो पाते है कि, यह साक्षी मु०अ०सं०– 66/2010 व 67/2010 का वादी मुकदमा है जिसके द्वारा बरामदगी असलहा व गिरफ्तारी की फर्द बनायी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी तैनाती के समय के०के० ओझा विधायक थे तथा

के०के० के भाई संदीप ओझा व सुन्दरलाल के मध्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें वह हार गये थे। गवाह भगवानपुर चौराहे को काफी व्यस्त चौराहा होना था सुरक्षा के पर्याप्त इन्तजाम होना साबित किया है।

43– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–7 निरीक्षक संजय वर्मा को परीक्षित कराया** जो मु०अ०सं०–66/2010 व मु०अ०सं०–67/2010 की चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० दर्ज की है तथा चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–15 व जी०डी० कायमी को प्रदर्श क–16 के रूप साबित किया है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, इस मुकदमें से संबंधित जी०डी० मेरे द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। मैनें एफ०आई०आर० तहरीर के आधार पर अंकित की थी। जी०डी० कायमी मुझे ही करना चाहिये किंतु S.O. साहब ने कायमी जी०डी० लिखी थी, मैं इस बात का कोई कारण नहीं बता सकता। जब मैं एफ०आई०आर० लिखता हूँ तो अमूमन जी०डी० भी मैं ही तैयार करता हूँ, लेकिन कभी–कभी विवेचक स्वंय जी०डी० में अंकन कर देते हैं। इस मुकदमें को S.O. बी०के०यादव द्वारा कायम कराया गया था और उन्हीं के द्वारा जी०डी० की इन्टरी की गयी। असल जी०डी० मेरे सामने नहीं है और न मैं लेकर आया हूँ। सारी एफ०आई०आर०, एस०ओ० के निर्देशन में लिखी जाती हैं इसलिए उनके निर्देशन में एफ०आई०आर० एंटी टाइमिंग व एंटी डेटिंग हुई।

44– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–8 सेवा निवृत्त निरीक्षक रघुराज मिश्र को द्वितीयक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया** जो मु०अ०सं०–66/2010 व मु०अ०सं०–67/2010 के विवेचक बी०पी० सिंह द्वारा की गयी विवेचना को मात्र तस्दीक करने का साक्षी है जो उपरोक्त मुकदमों के विवेचक के साथ काम करने के आधार पर उसके लेख व हस्ताक्षरों को पहचानता है। जिसने मु०अ०सं० 67/2010 धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप पत्र को प्रदर्श क–15 व नक्शा नजरी को प्रदर्श क–16 तथा मु०अ०सं० 66/2010 धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप पत्र को प्रदर्श क–17 व नक्शा नजरी को प्रदर्श क–18 के रूप साबित किया है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, विवेचक एस०आई० बी०पी० सिंह राना ने इस मुकदमे में क्या विवेचना की इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी नियुक्ति थाना हरदी में कभी नहीं रही। वर्ष 2004 में थाना मोतीपुर में एस०आई० राना विजय प्रताप सिंह के साथ थ। मैं और बी०पी० सिंह करी 6 माह तक थाना मोतीपुर में एक साथ रहा। इसके बाद मेरी उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। एस०आई० बी०पी० सिंह की मृत्यु कब हुई इसकी मुजे कोई जानकारी नहीं है।मुझे नहीं पता कि विवेचक बी०पी० सिंह ने इन दोनो मुकदमों में सही विवेचना की या गलत की। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैं बी०पी० सिंह के साथ न तो किसी लिख उन्हें कभी लिखते पढ़ते देखा।

45– बचाव पक्ष के द्वारा मौखिक साक्ष्य में दो साक्षियों डी०डब्लू०–1 सतीश कुमार तथा डी०डब्लू०–2 परमात्मादीन को पेश किया है। अभिलेखीय साक्ष्य में सूची ब–136 के माध्यम से चार दस्तावेज जिनमें छायाप्रति मतगणना परिणाम जिला पंचायत सदस्य बहराइच, प्रपत्र परिशिष्ट–12 जिला पंचयात क्षेत्र

संख्या–21 वर्ष 2005, सत्य प्रतिलिपि आदेश दिनांकित–02–02–2010 जो सामान्य वाद संख्या–94/2010 कृष्ण गोपाल बनाम अमृतलाल में विद्वान सिविल जज(अ०खं०) बहराइच द्वारा पारित किया गया। सत्य प्रतिलिपि वाद पत्र मय नक्शा, सामान्य वाद संख्या–94/2010 कृष्ण गोपाल बनाम अमृतलाल तथा सत्य प्रतिलिपि बैनाम दिनांकित–15–12–1992 बहक कृष्ण गोपाल बाजपेयी दाखिल किया है।

46– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि बचाव पक्ष के साक्षी के साक्ष्य का वहीं महत्व होगा जो की अभियोजन साक्षी के साक्ष्य का होता है जैसा की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दूद्धनाथ पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1981 SC 911** में पैरा 19 नें अवधारित किया गया है–

> "... ... ... .Defence witnesses are entitled to equal treatment with those of the prosecution. And Courts ought to overcome their traditional instinctive disbelief in defence witnesses. Quite often, they tell lies but so do the prosecution witnesses... .."

उपरोक्त सिद्धान्त का अनुसरण माननीय उच्च न्यायालय का डिवीजन बेंच ने प्रेम पाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य, 2017 (1) JIC Reports 104 (Allahabad) के मामले में पैरा 32 में किया है–

> **"32.**... ... ... .It is necessary to point out that as for as Courts are concerned, witnesses of both sides, prosecution and defence, sail in the same boat. Both have to appraised on the touchstone of credibility and truthfulness. Courts cannot say that she will not trust some witnesses merely because they hae been produced by defence. Testimony of defence witnesses has to be evaluated in same manner as that of prosecution. Some yardstick has to be applied... .."

47– बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई साक्ष्य में दो साक्षियों को पेश किया गया है। साक्षी डी०डब्लू०–1 **सतीश कुमार** द्वारा न्यायालय पर उपस्थित होकर साक्ष्य दिया है कि, मैं वादी मुकदमा को जानता हूँ और मैं अभियुक्तगण कृष्णगोपाल, बाबूलाल, सुन्दरलाला, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर व दिवाकर को भी भली प्रकार जानता हूँ। घटना दिनांक–09.02.2010 की है। समय लगभग 12 बजे दिन का था। घटनास्थल वाली जमीन अभियुक्त कृष्ण गोपाल की है और उन्ही का कब्जा है। कृष्ण गोपाल उसमें घटना के काफी पहले से लकड़ी रखे हुए थे। इस कृष्ण गोपाल की जमीन को अमृतलाल कब्जा करना चाहते थे। जिसके लिए कृष्ण गोपाल ने अमृतलाल पर दीवानी का मुकदमा दायर किया था जिसमें कृष्णगोपाल के पक्ष में स्टे हो गया था। घटना वाले दिन व समय पर वादी अमृतलाल के साथ 6–7 लोग जो बाहरी लोग थे, इस जमीन पर जबरदस्ती आकर कब्जा करने लगे और कृष्णगोपाल की लकड़ी फेंकने लगे तथा नींव खोदने का प्रयास किया। कृष्ण गोपाल व उनके घर के लोग अमृतलाल को मना करने लगे तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई। यह घटनास्थल मेन भगवानपुर चौराहे की है। भगवानपुर चौराहे पर लगभग दो–तीन सौ दुकाने है। भीड़ देखकर वादी अमृतलाल व उनके परिवार के लोग वहाँ से जाने लगे तथा अमृतलाल के साथ आये 6–7 बाहरी लोग भी जाने लगे। भीड़ ने उन बाहरी लोगों को रोकने लगे। इन बाहरी लोग ने फायर करना शुरू किया तथा लाठी–डण्डा भी चलाने लगे। जिसमें कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोट भी आई। अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल, बाबू लाल, सुन्दर लाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर व दिवाकर आदि ने न

तो किसी को मारा–पीटा और न तो किसी को चोट पहुंचाई। अज्ञात बदमाश मौका पाकर मौके से भाग गये। वादी अमृतलाल के सम्बन्धी तत्कालीन क्षेत्र फखरपुर के विधायक श्री कृष्ण कुमार ओझा मौके पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विधायक जी पुलिस वालों को अपने साथ लेकर थाने चले गये और मुल्जिमान के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। इस घटना के पहले वर्ष 2005 में अभियुक्त सुन्दर लाल और कृष्ण कुमार ओझा के मध्य जिला पंचायत का चुनाम हुआ था जिसमें कृष्ण कुमार ओझा जीत गये थे तथा सुन्दर लाल हार गये थे। उसके पश्चात् कृष्ण कुमार ओझा विधायकी का 2007 में चुनाव जीत गये। जिला पंचायत सदस्य की सीट खाली हो जाने पर विधायक कृष्ण कुमार ओझा ने अपने सगे भाई संदीप को जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया। इस चुनाव में सुन्दर लाल भी चुनाव लड़े थे। इस चुनाम में अभियुक्त सुन्दर लाल चुनाव हार गये थे। विधायक कृष्ण कुमार ओझा इसी से रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के कारण मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा कायम करा दिया।

48– इस साक्षी विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गयी जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, मेरा घर भगवानपुर में पड़ता है। मैं दुनकानदारी का काम करता हूं। मेरी दुकान भगवानपुर चौराहे पर है। मेरी रेडीमेड कपड़े की दुकान है। मैं अपनी दुकान पर करीब साढ़े नौ बजे तक जाता हूं तथा रात को करीब 9 बजे तक दुकान से घर को आता हूं। घटना की तारीख 09.02.2010 तथा समय करीब 12 बजे दिन की है। मैं 12 बजे के करीब मैं अपनी दुकान पर था। अमृतलाल को मैं जानता हूं। ये भगवानपुर में ही रहते है। मुल्जिमान भी मेरे गांव भगवानपुर में रहते है। मुल्जिमान के घर से मेरे घर की दूरी करीब 400 मीटर है। मेरी दुकान से घटनास्थल की दूरी 40 मीटर है। वादी मुकदमा अमृतलाल व कृष्ण गोपाल के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है। मुल्जिमान मेरे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन मुल्जिमान ब्राहमण है और मैं भी ब्राहमण हूं। मुल्जिमान से गांव के होने के नाते सम्बन्ध रहता है। वादी मुकदमा अमृतलाल व कृष्ण कुमार ओझा विधायक के राजनैतिक सम्बन्ध है।

49– साक्षी डी०डब्लू०–2 **परमात्मादीन** द्वारा न्यायालय पर उपस्थित होकर साक्ष्य दिया है कि, मेरी दुकान भगवानपुर चौराहे पर है। मैं इस मुकदमें के वादी मुकदमा अमृतलाल को जानता हूं। मैं अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुन्दर लाल, बाबूलाल, सुधाकर व दिवाकर को भी भली प्रकार जानता पहचानतू हूं।

घटना दिनांक–09.02.2010 की है समय लगभग 12 बजे दिन का था। घटनास्थल वाली जमीन अभियुक्त कृष्ण गोपाल की है और उन्ही का कब्जा है। कृष्ण गोपाल उस जमीन में घटना के पहले से ही लकड़ी रखे हुए थे। कृष्ण गोपाल इस जमीन को अृतलाल कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए कृष्ण गोपाल ने अमृत लाल पर दीवानी का मुकदमा दायर किया था जिसमें कृष्ण गोपाल के पक्ष में स्टे हो गया था। घटना वाले दिन व समय पर वादी अमृत लाल के साथ 6–7 बाहरी लोग इस जमीन पर जबरदस्ती आकर कब्जा करने लगे और कृष्ण गोपाल की रखी लकड़ी को फेंकने लगे तथा नींव खोदने का प्रयास किया तब कृष्ण गोपाल व उनके घर के लोग अमृत लाल को मना करने लगे तब तक मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। यह घटना स्थल भगवानपुर मेन चौराहे पर है। भगवानपुर चौराहा पर लगभग दो–तीन सौ दुकानें है। भीड़ देखकर वादी अमृत लाल व उनके परिवार के लोग वहाँ से जाने लगे। अमृत लाल के साथ आये 6–7

बाहरी लोगों को रोकने लगी। उन बाहरी लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया तथा लाठी–डण्डा भी चलाने लगे। जिसमें कुछ लोग को हल्की–फुल्की चोटें आई थी। अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुधाकर, दिवाकर, बाबूलाल व सुन्दर लाल आदि ने न तो किसी को मारा–पीटा और न तो किसी को चोट पहुंचाई। अज्ञात बदमाश मौका पाकर मौके से भाग गये। वादी अमृत लाल के उस समय तत्कालीन विधायक कृष्ण कुमार ओझा मेली मददगार थे, मौके पर पहुंच गये और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस वालों को विधायक जी अपने साथ लेकर थाने चले गये और मुल्जिमानों के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। वर्ष 2005 में अभियुक्त सुन्दर लाल और कृष्ण कुमार ओझा के मध्य जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में कृष्ण कुमार ओझा जीत गये थे और सुन्दर लाल हार गये थे। इसके पश्चात वर्ष 2007 में कृष्ण कुमार ओझा विधायक का चुनाव चीत गये और जिला पंचायत सदस्य की सीट खाली हो गयी। सीट खाली हो जाने पर विधायक कृष्ण कुमार ओझा ने अपने सगे भाई संदीप अभियुक्त सुन्दर लाल से चुनाव हार गये थे इसी से विधायक कृष्ण कुमार ओझा रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के कारण मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा लिखा दिया था।

50– इस साक्षी विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गयी जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, यह घटना फरवरी महीने की है, जाड़ा पड़ रहा था। मेरी दुकान भगवानपुर चौराहे पर है और घटनास्थल से 25–30 मीटर है मैं भगवानपुर चौराहे का नेता नहीं हूं, दुकानदार हूं। मेरी किराने की दुकान है। अमृतलाल मेरी दुकान से सामान लेने कभी नहीं आया। मेरी दुकान भगवानपुर चौराहे पर दिसम्बर, 1992 से है। ये मुझे ध्यान नहीं है कि ये मुल्जिमान मेरी दुकान से भी कभी लेते थे अथवा नहीं। मेरा घर भगवानपुर चौराहे पर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं सुबह भोजन करके दुकान आ जाता हूं और सारा दिन दुकानदारी करके रात में करीब साढ़े आठ बजे तक घर वापस जाता हूं। मेरी दुकान पर मैं अकेला बैठता हूं। मेरे बच्चे नहीं बैठते है।

गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि अभियुक्त कृष्ण गोपाल या अन्य कोई अभियुक्त मेरी दुकान से सामान लेता है। अभियुक्त कृष्ण गोपाल की भी भगवानपुर चौराहे पर दुकान है। अभियुक्त कृष्ण गोपाल का मकान बाजपेईपुरवा में है और उनकी दुकान भगवानपुर चौराहे पर है। यह दुकान की जमीन कृष्ण गोपाल ने अमृत लाल व कृष्ण गोपाल के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। अभियुक्त कृष्ण गोपाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं अथवा नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं सुन्दर लाल को जानता हूं। ये भगवानपुर के निवासी है। यह कहना गलत है सुन्दरलाल वर्ममान में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य है। आगे यह य़भी साक्ष्य दिया है कि, घटना के समय में अपनी दुकान पर था। हल्ला सुनने पर मैं मौके पर पहुंचा। भीड़ काफी हो गयी थी। मैंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। गोली किसके द्वारा चलाई गयी उसको मैं जानता पहचानता नहीं हूं। 6–7 आदमी के द्वारा गोली चलाई गई। 3–4 बार गोली की आवाज आई थी और इससे भगदड़ मच गई, मैं भी भाग गया। मैं अकेला ही भागा था। मैंने घटनास्थल पर फायर होते देखा था। गवाह ने फिर कहा कि 25–30 मीटर की दूरी से गोली चलते नहीं देखा था। 5 मीटर की दूरी से देखा था। गवाह ने न्यायालय के डायस से हाथ दिखाकर बताया कि न्यायालय परिसर के बाहर वाली दिवाल तक की दूरी थी। मेरे हिसाब से वह दूरी 5 मीटर होगी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि, जो मैं

दूरी बता रहा हूं वह 25–30 मीटर की दूरी है। इससे भी इन्कार किया कि, मुल्जिमान मेरी दुकान के पड़ोसी हैं इसलिए उनको बचाने के लिए न्यायालय पर सही बात नहीं बता रहा हूं। दो लोगों के हाथ में कट्टा था, जो गोली चला रहे थे। वे पूरब की तरफ मुँह करके खड़े थे। दो फायर किए गये थे। मैंने उन्हें चलाते हुए देखा था। अगर गोली चलाने वाले व्यक्ति मेरे सामने आ जायेंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगा।

घटना के समय मौके पर कृष्ण गोपाल, बाबू लाल, दिवाकर व सुधाकर थे। अमृत लाल से और इनके गोली गलौज हो रहा था। कृष्ण गोपाल की दुकान का शटर उत्तर तरफ है। गोली दुकान के पीछे से पूरब की तरफ चली थी। गोली 3 लोगों को लगी थी। जिन लोगों को गोली लगी थी उनमें से चेतराम की उसी बाजार में दुकान है शेष एक छोटी लड़की रेखा जिसको गोली लगी थी और होटल पर काम करने वाले एक छोटे लड़के को भी गोली लगी थी।

यह बात सही है कि कृष्ण गोपाल के दुकान के पूरब साइड में वादी मुकदमा की जमीन है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि, इसी जमीन को हड़पने को लेकर कहा सुनी होने पर अभियुक्तगण ने चोटहिल को आग्नेय अस्त्र से चोटे कारित की थी। यह भी कहना गलत है कि आज न्यायालय में मैं झूंठी गवाही दे रहा हूं। यह बात सही है कि इस घटना के बारे में सशपथ रूप से इस न्यायालय में आज बता रहा हूं। इससे पहले मैंने किसी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बताया।

51– उपरोक्त दोनो साक्षियों के साक्ष्य को जब हम एक सूत्र में पिरोकर देखते है तो यह स्थिति उभरकर आती है कि, उक्त दोनो साक्षियों की घटना स्थल के पास कपड़े व किराना की दुकान है जिन्होंने घटना स्थल पर वादी मुकदमा को 6–7 व्यक्तियों के साथ आना तथा उन्हे भीड़ द्वारा घेरे जाने पर तीन फायर करना कहा है, जिन्हें वह सामने आने पर पहचानने की बात भी कही है। उक्त साक्षियों ने विधायक के०के०ओझा व सुन्दरलाल के मध्य चुनावी रंजिश होना कहा है। अभियोजन द्वारा उनसे की गयी जिरह में ऐसा कुछ नहीं निकाल पाये जो अभियोजन के मामले को बल प्रदान करें। जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 द्वारा यह स्वीकार किया गया है। वादी मुकदमा द्वार जिन्हें बताया था उन्ही की गवाही अंकित की थी, किसी दुकानदार या स्वतंत्र गवाह के बयान अंकित नहीं किये। बचाव पक्ष के द्वारा सूची से दाखिल कागजात के साथ कागज संख्या–136/10 बैनामा निष्पादित दिनांकित–15–12–1992 जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या–1 जिल्द संख्या–1078 के पृष्ट 151/152 में नम्बर 9330 पर दिनांक–09–07–1997 को सब रजिस्ट्रार कैसरगंज जिला बहराइच पर हुई थी की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की है जिसमें ग्राम भगवानपुर परगना फखरपुर की भूमिधरी नम्बरी–490/02 का बैनामा कृष्णगोपाल वाजपेयी पुत्र मंशाराम वाजपेयी के हक रामखेलावन पुत्र सालिकराम के द्वारा किया गया जो वादी मुकदमा के पिता है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि, वादी मुकदमा के पिता के द्वारा बैनामे को कैंसिलेशन कराने का कोई वाद योजित नहीं किया गया है। इसके खण्डन में अभियोजन के द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि, विवादित भूमि अभियुक्त कृष्णगोपाल ने वादी मुकदमा के पिता से जरिए पंजीकृत बैनाम 1992 में क्रय की थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षों को मध्य मुकदमें बाजी चलने सम्बन्धी साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसमें सम्बन्ध में सामान्य वाद संख्या–94/2010 के वाद की सत्य प्रतिलिपि जो कृष्ण गोपाल वाजपेयी के द्वारा वादी मुकदमा अमृतलाल, रामनरेश, राघवराम के विरूद्ध

दिनांक–02–02–2010 को योजित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज (अ०खं०) बहराइच के द्वारा पारित आदेश दिनांकित–02–02–2010 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की है जिसमें विवादित स्थल की भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे तथा मामले में दिनांक–08–03–2010 अग्रिम तिथि नियत की गयी थी।

52– अभियुक्तगण सुन्दरलाल व बाबुलाल के विरूद्ध अपराध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृति जिलाधिकारी बहराइच से ली गयी थी परन्तु किसी भी साक्षी से अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है।

53– उपरोक्त विवेचना के आधार पर जब हम समस्त साक्षियों के साक्ष्य को एक सूत्र में पिरोकर देखते है तो अभियोजन ने तथ्य के दो साक्षियों पी०डब्लू०–1 अमृतलाल व पी०डब्लू०–2 कु० रेखा को परीक्षित कराया जिनमें साक्षी पी०डब्लू०–1 अमृतलाल जो मामले का वादी मुकदमा तथा चक्षुदर्शी साक्षी है जिसके द्वारा तहरीर में स्वयं नींव खोदने की बात कहते हुए विवादित भूमि पर अभियुक्तगण का आना तथा चोटहिलो को फायर आर्म की चोटे कारित करना कहा है तथा घटना को बसावनलाल पुत्र लल्लन अवस्थी, बद्रीविशाल, रामकोमल व नगेन्द्र नाथ द्वारा देखा जाना कहा है तथा तहरीर को प्रदर्श क–1 रूप में साबित किया। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में नन्द कुमार अवस्थी द्वारा तहरीर लिखाया जाना साबित किया है परन्तु उपरोक्त में से किसी को भी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य में स्वयं उसके पुत्र 6–7 लोगो द्वारा घटना स्थल पर पहुंचना कहा परन्तु उनमें से भी किसी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे इस साक्षी की साक्ष्य की पुष्टि हो सके। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसे कोई चोट नहीं आयी। पी०डब्लू०–2 कुमारी रेखा जो घटना के समय 08 वर्ष की उम्र की थी जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण का नाम लेती है वहीं जिरह में केवल सुन्दर लाल व बाबूलाल को नाम लेती जबकि पी०डब्लू०–5 के द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि, कु० रेखा द्वारा उसे दिये गये 161 दं०प्र०सं० के बयान में 6 लोगो को होना कहा है किसी का नाम नहीं बताया था। साबित किया है जिससे यह दर्शित हो रहा है कि, यह बाल साक्षी जिसके साक्ष्य का विशेषतः सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए यह साक्षी संयोगवश साक्षी है जो चोटहिल जोगिन्दर के साथ बाजार में अवस्थी पुरवा से भगवानपुर बाजार सामान लेनी आयी थी। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि, तथाकथित चोटहिलो को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है। अगर प्रस्तुत करते तो सही स्थिति न्यायालय के समक्ष आती। इस तर्क के खण्डन में अभियोजन द्वारा तर्क दिया है कि, साक्षियों को पेश किया गया है, उनके साक्ष्य से मामला साबित है। उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि, मामले में अभियोजन की ओर से चार चोटहिल लल्लूराम अवस्थी, जोगिन्दर, रेखा व चेतराम बताये गये हैं। जिनका नाम आरोप पत्र के पुस्त पर गवाहान की सूची में दर्ज लल्लूराम पुत्र जगत नरायन, चेतराम पुत्र राम सिहारे, कु० रेखा पुत्री कृष्ण कुमार वाजपेयी व जोगिन्दर पुत्र गिरधारी लाल जो क्रमशः गवाहान सूची में 2, 3, 4 व 5 पर नाम अंकित है जिसमें मात्र कु० रेखा को न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कर साक्ष्य अंकित कराया है। अभियोजन द्वारा चोटहिल साक्षी लल्लू राम अवस्थी, चेतराम व जोगीन्दर को पेश नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा साक्षियों को साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में कई बार प्रासेस जारी किये गये

तथा इसी क्रम में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी को दिनांक–05–12–2015 को साक्षीगण को बी०डब्लू०–5000 जारी गये जिन्हें साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक–13–05–2016 को निरस्त कराया परन्तु उक्त साक्षियों की साक्ष्य उक्त तिथि पर अंकित नहीं हुई। साक्षीगण को उसके पश्चात साक्ष्य हेतु तलब किये जाने पर उपस्थित न होने पर आदेश दिनांक–08–06–2017 को उनके विरूद्ध गैरजमानतीय वारण्ट व साक्षीगण की उपस्थित हेतु पुलिस अधीक्षक बहराइच व जिलाधिकारी बहराइच को पत्र प्रेषित किये गये। पुनः साक्षीगण के एन०बी०डब्लू० षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच के द्वारा निरस्त किये गये। वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक–13–06–2018 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र वास्ते डिस्चार्ज किये जाने गवाह लल्लू व चेतराम में उनके द्वारा उसके पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं है पक्षद्रोही हो गये है डिस्चार्ज किये जाने की याचना पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा डिस्चार्ज प्रार्थना पर स्वीकार किया गया।

उल्लेखनीय है कि, यह बहुत ही अस्वाभाविक है कि, किसी व्यक्ति को चोटे कारित की जाये और वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में गवाही देने हेतु उपस्थित न हो। स्वाभाविक प्रतीत नहीं हो रहा है। जब वह व्यक्ति उस चोट कारित करने वाले व्यक्ति को जानता भी हो और उसके विरूद्ध गवाही न दे। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा तथाकथित चोटहिल गवाहो को गवाही हेतु तलब किये जाने हेतु भरसक प्रयास किया गया। साक्षीगण न्यायालय में दो बार वारण्ट रिकाल हेतु उपस्थित भी हुए परन्तु अभियोजन ने उन्हें परिक्षित नहीं कराया। यदि व परिक्षित होते तो सही स्थिति सामने आती। उसके पश्चात भी उक्त गवाह गवाही देने हेतु उपस्थित नहीं आए। ऐसे में धारा–114(जी) की उपधारणा की जा सकती है। यदि वह उपस्थित होते तो सही स्थिति बताते। बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत हो रहा है। बचाव पक्ष का तर्क की राजनीतिक रंजिश के कारण अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। जिसके खण्डन में अभियोजन द्वारा तर्क दिया है कि, अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया गया था जिसके सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उक्त सम्बन्ध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि, अभियुक्त सुन्दरलाल ने के०के० ओझा के विरूद्ध जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जिसमें के०के० ओझा जीत गये थे, जिसकी पुष्टि साक्षी डी०डब्लू०–1 व डी०डब्लू०–2 के साक्ष्य से तथा सूची ब–136/2 सदस्य जिला पंचायत चुनाव में के०के० ओझा प्रथम स्थान पर तथा रनर सुन्दरलाल होना साबित है तथा पी०डब्लू०–5 के बयानो में के०के० ओझा के भाई संदीप ओझा का सुन्दर लाल से सदस्य जिला पंचायत का चुनाव हारना साबित है, तथा डी०डब्लू०–2 के द्वारा वादी मुकदमा अमृतलाल को विधायक के०के० ओझा का कार्यकर्ता होना साबित किया है। साक्ष्य में यह भी आया है कि, के०के० ओझा विधायक चुने गये और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर अपने भाई संदीप ओझा को चुनाव लडाया उक्त चुनाव में सुन्दर लाल ने संदीप ओझा को हराया था इसी वजह से के०के० ओझा व सुन्दरलाल के मध्य चुनावी रंजिश हो गयी। साक्ष्य में यह भी आया है कि, वादी मुकदमा के०के० ओझा के नजदीकी व उनके चुनाव प्रचारक रहे हैं तथा अभियुक्तगण व वादी मुकदमा के मध्य मुकदमें बाजी भी चल रही थी। जिस सम्बन्ध में एक सिविल वाद सामान्य वाद संख्या–94/2010 कृष्णगोपाल बनाम अमृतलाल आदि दिनांक–02–02–2010 को योजित किया जिसमें यथा स्थिति के

आदेस पारित किये गये जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य के तौर पर दाखिल की गयी है। जिससे यह तथ्य साबित हो रहा है कि, पक्षो के मध्य विवादित भूमि को लेकर विवाद था जिसपर अभियुक्त कृष्ण गोपाल व उसके परिवार का कब्जा था और वह उस विवादित स्थल पर लकडी बेचने का काम करता था।

54– विवेचक साक्षी जो की एक औपचारिक साक्षी है के द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दोपहर 03.00 बजे दिखायी है जबकि वादी मुकदमा अमृतलाल द्वारा अभियुक्तगण को 12:30 बजे गिरफ्तार करना तथा थाना हाजा पर समय 12:35 बजे पहुचना साबित किया है। यह भी साबित किया है कि, दो बजे उसने अभियुक्तगण को थाना हाजा पर स्वयं देखा था। ऐसे में जब पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को 12:30 बजे गिरफ्तार करके थाने पर 12:35 पर ले गये तथा दो बजे तक थाने पर ही बैठाये रखा उसके बाद उनका चालान शाम 05:10 बजे किया जाना पूरे मामले को संदिग्ध बना देता है। जब समय 12:30 बजे गिरफ्तार किये गये तो उनकी एन्ट्री थाने पर जी०डी० में क्यो नहीं की गयी। ऐसे में दिखायी गयी रिकवरी जो संयुक्त रूप से गिरफ्तारी व बरामदगी असलहा व खोखा व जिंदा कारतूस स्वयं में संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। विवेचक साक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि, घटना स्थल से उसे कोई खोखा, टिकली, कारतूस छर्रे इत्यादि बरामद नहीं हुए जबकि पी०डब्लू०–2 के बयानो में 30–40 राउण्ड खोली चलना कहा जबकि वह स्थल सार्वजनिक बाजार है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना विवेचक साक्षी पी०डब्लू०–5 ने साबित किया है। विवेचक साक्षी द्वारा घटना स्थल से कोई खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी की फर्द नहीं बनायी साथ ही साक्षी ने असलहा को बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी नहीं भेजा जिससे यह साबित हो सकता कि चलाई गयी गोलियाँ इन्ही असलहों से चलाई गयी हों। अभियोजन द्वारा कोई स्वतन्त्र साक्षी बरामदगी असलहा की फर्द पर नहीं बनाया और न ही न्यायालय पर परीक्षित कराया है जिससे अभियोजन के इस मामले को बल प्रदान होता। अभियोजन द्वारा घायलों के शरीर से निकले छर्रों को भी विधि वज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा जिससे मामले को बल प्राप्त होता। मामले की संयुक्त फर्द बनाई गयी है जिसमें गिरफ्तारी व बरामदगी को एक साथ दर्शित किया गया है जबकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले की फर्द अलग अलग बनाई जाये। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तगण के कब्जे से कोई फर्द की काफी थाना हाजा पर अभियुक्तगण से प्राप्त होने सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं किया है। बचाव पक्ष के द्वारा परीक्षित साक्षियों व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि पक्षों के मध्य सिविल वाद विचाराधीन था जिसमें घटनास्थल के सम्बन्ध में यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ था जिसके होते हुए भी वादी मुकदमा अभियुक्तगण के कब्जे वाली विवादित भूमि पर नींव खोदने 06–07 व्यक्तियों के साथ गया जिनको भीड़ द्वारा घेर लेने पर उनके द्वारा 03–04 राउंड गोली चलाना साबित किया है। जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 के द्वारा स्थल पर नींव खोदने का साक्ष्य दिया है परन्तु कोई फावड़ा कुदाल, तसला सम्बन्धी कोई फर्द भी नहीं बनायी गयी और न ही न्यायालय में उपरोक्त को प्रस्तुत किया गया। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विवेचना की कमियों का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। परन्तु यह आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन अपने मामले को सन्देह से परे साबित करे। अभियोजन अपने मामले को सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

55– अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में आरोपित

अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल बाजपेयी, सुन्दर लाल, बाबूलाल, दिवाकर, सुधाकर व राजेन्द्र प्रसाद को सत्र परीक्षण संख्या–113/2010, मुकदमा अपराध संख्या 65/2010 में अभियुक्तगण को अपराध धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट थाना हरदी, जनपद बहराइच के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त सुन्दर लाल को सत्र परीक्षण सं०–114/2010 मु०अ०सं०–66/2010 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–हरदी, जिला–बहराइच के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है तथा अभियक्त बाबूलाल को सत्र परीक्षण सं०–115/2010 मु०अ०सं०–67/2010 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–हरदी, जिला–बहराइच के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण कृष्ण गोपाल बाजपेयी, सुन्दर लाल, बाबूलाल, दिवाकर, सुधाकर व राजेन्द्र प्रसाद को सत्र परीक्षण संख्या–113/2010, मुकदमा अपराध संख्या 65/2010 में अभियुक्तगण को अपराध धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट थाना हरदी, जनपद बहराइच के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सुन्दर लाल को सत्र परीक्षण सं०–114/2010 मु०अ०सं०–66/2010 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–हरदी, जिला–बहराइच के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियक्त बाबूलाल को सत्र परीक्षण सं०–115/2010 मु०अ०सं०–67/2010 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–हरदी, जिला–बहराइच के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं, प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं।

अभियुक्तगण धारा–481 B.N.S.S (धारा–437A दं०प्र०सं०) के अनुपालन में दो–दो प्रतिभू अंकन 25,000/– रुपये व इसी धनराशि का बंधपत्र अन्दर सात दिन दाखिल करें।

अपील की अवधि तक वस्तु प्रदर्श–1 तमन्चा 315 बोर व वस्तु प्रदर्श–4 व तमन्चा 12 बोर को सुरक्षित रखा जाये तथा उसके पश्चात उसे विनिष्ट किया जाये। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश से वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–4 को विनिष्ट किया जाये।

दिनांकः 06–04–2026

(पवन कुमार शर्मा II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

दिनांकः06–04–2026

(पवन कुमार शर्मा II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।